समन्वित बागवानी विकास मिशन उप योजनाराष्ट्रीय बागवानी मिशन
दिशा–निर्देश

के.प्र.यो. राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत बागवानी फसलों–फल, सब्जियां, मसाले एवं फूल व औषधीय एवं सुगंधीय पौधों के सर्वांगिण विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे है। योजनान्तर्गत क्षेत्र विशेष की कृषि जलवायुवीय स्थितियों में तुलनात्मक रूप से सर्वाधिक उपयुक्त एवं संभावना वाली बागवानी फसलों को वर्तमान एवं भविष्य की मांग को देखते हुये सघन रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। योजनान्तर्गत बागवानी फसलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं आनुवांशिक उन्नयन के लिए उच्च प्रौद्योगिकियों को अपनाकर मुख्य रूप से उत्पादन, उत्पादकता व फसल उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा फसलोत्तर प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।योजना अर्न्तगत कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान प्रावधान अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन दिशा–निर्देश निम्नानुसार है–

सामान्य निर्देशः

- योजना कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जिलेवार चयनित फसलों/आंवटित लक्ष्यों के अनुसार किया जावेंगा।
- योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन संघन क्लस्टर के रूप में किये जाने हेत कृषकों का चयन यथासम्भव समूह के रूप में किया जावें।
- योजना काय्रक्रमों के क्रियान्वयन में यथासम्भव स्थानीय स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं एवं महात्मा गांधी नरेगा योजना से समन्वय स्थापित किया जावें।
- योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के तहत अनुदान हेतु आवेदन पत्र क्षेत्र के उपनिदेशक कृषि (विस्तार)/उप निदेशक उद्यान/सहायक निदेशक उद्यान/सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/कृषि अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक को प्रस्तुत किये जा सकेगें।
- पौध रोपण सामग्री/बीज के अतिरिक्त अन्य सभी आदान ग्राम सेवा सहकारी समिति/क्रय–विक्रय सहकारी समिति/लेम्पस/पैकस के माध्यम से उपलब्ध कराये जावे। कार्यालय स्तर से कोई आदान क्रय नही किया जायेगा ।
- सहकारी समिति/क्रय–विक्रय सहकारी समिति/लेम्पस/पैकस से आदान उपलब्ध कराने हेतु कृषि अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक द्वारा कृषक को फसल विशेष की सिफारिश अनुसार परमिट जारी किया जायेगा ।
- परमिट/सिफारिश अनुसार कृषक हिस्सा राशि सहकारी समिति में जमा करवायी जाकर कार्यक्रम के प्रावधान अनुसार आदान स्वयं कृषक के द्वारा प्राप्त किये जायेंगे।
- योजना अर्न्तगत कीटनाशी रसायन कृषि विभाग द्वारा रजिस्टर्ड निर्माता कम्पनियों में से प्राथमिकता से 'ए' व 'ब' श्रेणी पाये गये निर्माताओं के उपलब्ध कराये जावें। 'ए' व 'ब' श्रेणी के कीटनाशी रसायन निर्माताओं के पास उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी की पूर्व अनुमति से अन्य श्रेणी के कीटनाशी रसायन उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

- योजना कार्यक्रम अर्न्तगत कृषक द्वारा क्रय किये गये आदान का सहकारी संस्था द्वारा जारी बिल के पृष्ठ भाग पर स्वयं कृषक से आदान प्राप्ती प्रमाणित करवायी जाकर हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी प्राप्त किया जावे।
- अनुदान क्लेमस् का कार्यालय द्वारा सत्यापन उपरांत बिल प्राप्त होने के अधिकतम एक माह में संस्था को आर.टी.जी.एस. द्वारा भुगतान सुनिश्चत किया जावें।
- कृषक सहकारी संस्थाओं से शत् प्रतिशत लागत पर आदान क्रय करके भी अनुदान के क्लेम्स विभाग को प्रस्तुत कर सकेंगे, ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा कृषक को क्लेम्स प्राप्ति के पश्चात अधिकतम 15 दिवस में अनुदान राशि का भुगतान आर.टी.जी.एस. के द्वारा किया जायेगा ।
- योजनाकार्यक्रमों के तहत स्वीकृत अनुदान राशि सीधे ही लाभार्थी के खाते में आर.टी. जी.एस.के माध्यम से जमा कराई जायेगी।
- योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति व 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति व 30 प्रतिशत महिला कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा। योजनार्न्तगत अनुदान हेतु आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र में प्राप्त करने होंगे। आवेदन पत्र पर संबंधित कृषक/संस्था/लाभार्थी का फोटो व जिस भूमि पर कार्यक्रम/गतिविधि ली जा रही है के भू–स्वामित्व का खसरा नम्बर अंकित करना व मृदा एवं सिचाई पानी की जांचरिपोर्ट संलग्न करना आवश्यक होगा। यथासम्भव कृषक के मोबाईल नम्बर भी आवेदन पत्र में अकिंत करवाये जावें।
- योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिये आवेदन करने वाले वास्तविक आवेदक की मृत्यु होने की स्थिति में अनुदान राशि वास्तविक आवेदक के कानूनी उत्तराधिकारी को देय होगी। इस हेतु लाभार्थी को कानून उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- कृषक के स्वंय की मालिकाना हक की भूमि पर योजना का लाभ देय होगा । रजिस्टर्ड लीज पर अनुदान देय नहीं होगा।
- परियोजना आधारित समस्त कार्यक्रम जिला अधिकारी/खण्ड अधिकारी/निदेशालय को प्रस्तुत किये जा सकेंगे तथा परियोजना प्रस्ताव की एक प्रति सम्बधित जिला कार्यालय को आवश्यकरूप से उपलब्ध करायी जावे। जिला अधिकारी प्रस्ताव प्राप्त होने पर परियोजना स्थल का निरिक्षण कर मय फोटोग्रफ अपनी टिप्पणी से निदेशालय को अवगत कराया जायेगा।
- सम्बंधित जिला कार्यालय द्वारा योजना के तहत लाभार्थियो की कृषक श्रेणीवार डिजीटलाइज्ड सूची तैयार की जायेगी।

पौध रोपण सामग्री का उत्पादन (Production of Planting Material)

पौध रोपण सामग्री की उत्पादन क्षमता व गुणवत्ता में वृद्वि के लिये हाईटेक नर्सरी, छोटी नर्सरी स्थापना पर अनुदान देय है ।

1. हाइटेक नर्सरीः

हाईटेक नर्सरी की लागत प्रति हेक्टेयर 25.00 लाख निर्धारित की गयी है। एक लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र में नर्सरी स्थापना हेतु अनुदान प्राप्त कर सकता है। निजी क्षेत्र में हाईटेक नर्सरी सथापना पर लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 10.00 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 4 हैक्टेयर क्षेत्र के लिये 40.00 लाख रूपये क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड अनुदानदेय है।हाई–टेक (मॉडल) नर्सरी को उच्च गुणवतायुक्त फलों के 50000 पौधे प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष वानस्पतिक प्रसारण (Vegetative Propagation) विधि से तैयार करने होंगे। हाईटेक नर्सरी स्थापना हेतु निम्न सुविधाये विकसित की जायेगीः–

1. उपयुक्त फैन्सिंग
2. उन्नत किस्मों का मातृ वृक्ष ब्लॉक
3. नेट हाऊस
4. सिंचाई सुविधाये
5. हाईटेक ग्रीन हाऊसजिसमें, फौगिंग तथा छिड़काव की सिंचाई प्रणालियां लगी हो।
6. हार्डनिंग/रख–रखाव हेतु कीट रोधी, 35 प्रतिशत लाईट स्क्रीनिंग व सूक्ष्म छिड़काव सिंचाई प्रणालीयुक्त शेडनेट हाऊस
7. सिंचाई हेतु पम्प हाऊस व कम से कम 2 दिन की जरूरत को पूरा करने के लिए जल भण्डारण टैंक
8. मृदा उपचार के लिये बायलर्स के साथ स्टीम स्टरलाईजेशन प्रणाली

नर्सरी काराष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से एक्रीडेशन (Accreditation) कराना आवश्यक होगा।नर्सरी विकास हेतु सांकेतिक लागत मॉडल निम्नानुसार हैः–

कम्पोनेंट/कार्य	नर्सरी क्षेत्रफल अनुसार बुनियादी सुविधा सांकेतिक मॉडल (राशि लाख रूपयों में)							
	एक हैक्टर		दो हैक्टर		तीन हैक्टर		चार हैक्टर	
		राशि		राशि		राशि		राशि
फैन्सिंग		0.80		1.60		2.40		3.20
मातृ वृक्ष ब्लांक का रखरखाव व अन्य सहायक सुविधाये		0.75		1.50		2.25		3.00
शैडनेट हाउस (वर्गमीटर)	1000	7.10	2000	14.20	3000	21.30	4000	28.40
हाईटेक ग्रीन हाउस मयकीट रोधी नैटिंग, फौगिंग व सिंचाई प्रणालियां (वर्गमीटर)	1000	9.35	2000	18.70	3000	28.05	4000	37.40

कीट रोधी नेट हाडस (वर्गमीटर)	500	4.00	1000	8.00	1500	12.00	2000	16.00
नर्सरी उपकरण/औजार		0.50		1.00		1.50		2.00
सिंचाई सुविधा		0.50		1.00		1.50		2.00
सिचाई पम्प हाऊस व जल भण्डारण टैंक का निर्माण		1.50		3.00		4.50		6.00
मृदा उपचार– बायलर्स स्टीम स्टरलाईजेशन प्रणाली		0.50		1.00		1.50		2.00
कुल योग		**25.00**		**50.00**		**75.00**		**100.00**

2. छोटी नर्सरीः

छोटी नर्सरी की लागत प्रति हेक्टेयर 15.00 लाख निर्धारित की गयी है। निजी क्षेत्र में एक लाभार्थी को अधिकतम 1 हेक्टेयर क्षेत्र में नर्सरी स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 7.50 लाख रूपये क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडिड अनुदान देय है।

नर्सरी को उच्च गुणवतायुक्त फलों के 25000 पौधे प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष वानस्पतिक प्रसारण (Vegetative Propagation) विधि से तैयार करने आवश्यक होंगे। छोटी नर्सरी स्थापना हेतु निम्न सुविधाये विकसित की जायेगीः–

1. उन्नत किस्मों का मातृ वृक्ष ब्लॉक नेच्यूरली वेन्टीलेटेड ग्रीन हाउस सिंचाई सुविधाये
2. हाईटेक ग्रीन हाऊसजिसमें, फौगिंग तथा छिड़काव की सिंचाई प्रणालियां लगी हो।
3. हार्डनिंग/रख–रखाव हेतु कीट रोधी, 35 प्रतिशत लाईट स्क्रीनिंग व सूक्ष्म छिड़काव सिंचाई प्रणालीयुक्त शेडनेट हाऊस
4. सिंचाई हेतु पम्प हाऊस
5. मृदा उपचार के लिये स्टरलाईजेशन प्रणाली।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत नर्सरी में बुनियादी सुविधाओं के विकास का सांकेतिक मॉडल निम्नानुसार हैः–

कम्पोनेंट/कार्य	**नर्सरी क्षेत्रफल अनुसार बुनियादी सुविधा सांकेतिक मॉडल (राशि लाख रूपयों में)**	
मातृ वृक्ष ब्लांक का रखरखाव व अन्य सहायक सुविधाये		0.80
शैडनेट हाउस (वर्गमीटर)	1000	7.10
हाईटेक ग्रीन हाउसहाउस मयकीट रोधी नैटिंग, फौगिंग व सिंचाई प्रणालियां (वर्गमीटर)	500	4.68
नर्सरी उपकरण/औजार		0.25
सिंचाई सुविधा		0.50
सिचाई पम्प हाऊस व जल भण्डारण टैंक का निर्माण		1.17
मृदा उपचार– बायलर्स स्टीम स्टरलाईजेशन प्रणाली		0.50
कुल योग		**15.00**

प्रक्रियाः

1. निजी क्षेत्र में हाई–टेक (मॉडल) व छोटी नर्सरी स्थापना के लिये आवेदक (संस्था/कृषक/कम्पनी) को भू–स्वामित्व (Consolidatedland) दस्तावेज, नर्सरी पर विकसित की जाने वाली सुविधाओं के विवरण सहित लागत एस्टीमेट, वित्तीय विश्लेषण इत्यादि के साथविस्तृत परियोजना प्रस्ताव मयबैंक ऋण स्वीकृति पत्र (टर्म लोन)व शपथ–पत्र के साथ जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी को प्रस्तुत करने होगें। जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी द्वारा अभिशंषा के साथ प्रस्ताव राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी, उद्यान निदेशालय, जयपुर को प्रस्तुत किया जायेगा ।
2. नर्सरी स्थापना के लिये बैंक ऋण अनिवार्य है ।इस हेतु परियोजना लागत का लगभग 70–75 प्रतिशत बैंक ऋण स्वीकृति पत्र (Term loan sanction letter) सलंग्न करना होगा।
3. योजना प्रावधान अनुसार परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने पर राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी द्वारा नर्सरी के बुनियादी ढांचे की सुविधायें विकसित करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति (LOI) जारी की जायेगी।
4. आवेदक कोनर्सरी सुविधायें विकसित करने का कार्य 6 माह की समयावधि में पूर्ण किया जाकर राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी (आर.एच.डी.एस.), जयपुर को अवगत कराया जायेगा।
5. खण्डीय संयुक्त/उप निदेशक उद्यान, उप/ सहायक निदेशक उद्यान एवं कृषि अधिकारी व सम्बंधित कृषि पर्यवेक्षक द्वारा सयुक्त निरिक्षण किया जाकर भौतिक सत्यापन रिर्पोट अनुसार अनुदान राशि आवेदनकर्त्ता के बैंक अनुदान आरक्षित खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।
6. अनुदान राशि 3 वर्ष की लॉक इन अवधि पूरी होने के पश्चात बेक एंडिड प्रक्रिया से अन्त में समायोजित की जायेगी।
7. पौध रोपण सामग्री की आवश्यक्ता के अनुसार नर्सरी बहु–फलीय या किसी एक फल विशेष के लिये स्थापित की जा सकेगी। परियोजना प्रस्ताव में फलों व किस्मों के नाम को स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। नर्सरी पर उच्च गुणवत्तायुक्त पौधों का मातृ वृक्ष ब्लॉक स्थापित करना अनिवार्य होगा। इसके लिये मातृ पौधें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों या राज्य/केन्द्र सरकार के अनुसंधान केन्द्रों से प्राप्त करने होंगे।
8. नर्सरी को मातृ वृक्ष व उत्पादित पौध रोपण सामग्री का रिकॉर्ड संधारित करके रखना होगा व इसकी प्रगति से राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी, उद्यान निदेशालय, जयपुर को अवगत करवाना होगा।
9. नर्सरी के प्रस्तावों में बुनियादी ढांचें की सुविधाओं के साथ–साथ फैन्सिंग, सर्विस रोड़ (कच्ची/पक्की), आवश्यक उपकरण आदि भी सम्मिलित किये जा सकेंगे।
10. नर्सरियां बीज और रोपण सामग्री से सबंधित लागु नियमों के अंतर्गत विनियमित होगी।
11. आवेदक को प्रस्तावित नर्सरी में पौध रोपण सामग्री उत्पादन के लिये आवश्यक हाली–माली, तकनीकी जानकारी रखने वाले दक्ष व्यक्ति रखने होंगे।

12. नर्सरी पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन से अनुदानित का बोर्ड जिस पर स्थापना का वर्ष, कुल लागत, मातृ वृक्षों की किस्म/फसल इत्यादि की जानकारी अंकित करना होगा व पौधों की किस्मवार विक्रय दर का बोर्ड लगाना होगा।
13. नर्सरीयों को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से एक्रेडिशन करवाना होगा।
14. राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी या इसके द्वारा अधिकृत संस्था द्वारा नर्सरी का समय–समय पर निरीक्षण किया जा सकेगा।
15. नर्सरी द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशानुसार परियोजना प्रस्ताव का क्रियान्वयन नहीं करने व पौधें उत्पादन कार्य बन्द करने की स्थिति में राज्य सरकार के नियमानुसार अनुदान राशि वापस ली जा सकेगी।

बीज बुनियादी ढांचा विकास(Seed Infrastructure)

बीजों के उचित रख–रखाव, भण्डारण तथा पैकेजिंग की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचा जैसे– शुष्क प्लेटफार्म, भण्डारण बिन्स, पैकेजिंग यूनिट और इससे संबंधित उपकरण लगाये जाने के लिए सहायता प्रावधानहै । निजी क्षेत्र को क्रेडिट लिंक बेक एंडिड सब्सिडी, जो परियोजना लागत की 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 100.00 लाख प्रति लाभार्थी तक होगी, की सहायता देय है ।

1. सीड इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिये बुनियादी ढांचागत सुविधाएं जैसे– शुष्कन प्लेटफार्म, भण्डारण बिन्स, पैकेजिंग यूनिट और इससे सबंधित प्लांट व मशीनरी का पूर्ण विवरण, लागत एस्टीमेट, वित्तीय विश्लेषण इत्यादि के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव, बैंक ऋण स्वीकृति पत्र (बैंक टर्म लोन सैंक्शन लेटर), भू–स्वामित्व दस्तावेज व 100/– रूपये के नानॅ ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र के साथ प्रस्ताव राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी (RHDS), जयपुर को प्रस्तुत करने होंगे।
2. परियोजना प्रस्तावों के कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार से अनुमोदन उपरांत आर.एच.डी.एस., जयपुर द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी।
3. आवेदक को परियोजना प्रस्ताव की लागत का लगभग 70 –75 प्रतिशत तक का बैंक ऋण लेना होगा।
4. आवेदक द्वारा बुनियादी ढांचे की सुविधायें विकसित करने का कार्य पूर्ण करके जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी/राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी, कृषि भवन, जयपुर को अवगत कराया जायेगा। इस हेतु निर्धारित भौतिक सत्यापन कमेटी रिर्पोट अनुसार जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी द्वारा स्वीकृत अनुदान राशि आवेदनकर्त्ता के बैंक अनुदान आरक्षित खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।
5. अनुदान राशि 3 वर्ष की लॉक इन अवधि पूरी होने के पश्चात बेक एंडिड प्रक्रिया से अंत में समायोजित की जायेगी।
6. योजना अर्न्तगत स्थापित इकाईयों पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित, स्थापित वर्ष, कुल लागत, मशीनरी का विवरण इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

नए उद्यानों की स्थापना(Establishment of new gardens):

राष्ट्रीय बागवानी मिशन अर्न्तगत जिलेवार चयनित बागवानी फसलों के लागत मापदण्ड अनुसार नये क्षेत्र विस्तार/ नये बगीचों की स्थापना पर अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। बागवानी फसलों जैसे– फल, फूल, मसाले तथा सुगंधीय पौधो के नए फल बगीचों की स्थापना हेतु देय अनुदान का विवरण निम्नानुसार है :–

1. फलः

अ. अधिक मूल्य वाली फसलें–पपीताः

फसल का नाम	पौध रोपण अन्तराल (मी.)	पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर	देय अनुदान (रूपये/हैक्टेयर) प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टेयर			
			ड्रीप सिचाई के एकीकरण बिना		ड्रीप सिचाई के पैकेज/ एकीकरण सहीत	
			सांकेतिक लागत	देय अनुदान	सांकेतिक लागत	देय अनुदान
पपीता	1.8X1.8	2777	61655	इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 30,000/– प्रति हेक्टेयर प्लान्टिंग मैटेरियल, उर्वरक व पौध सरंक्षण रसायनों पर देय है। प्रथम वर्ष में सहायता राशि का 75 प्रतिशत एवं द्वितिय वर्ष में 90 प्रतिशत पौधें जीवित होने की दशा में 25 प्रतिशत।	120055	इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 80000/– प्रति हेक्टेयर प्लान्टिंग मैटेरियल, ड्रिप सिचांई विधि एवं उर्वरक तथा पौध सरंक्षण रसायनों पर देय है। प्रथम वर्ष में सहायता राशि का 75 प्रतिशत एवं द्वितिय वर्ष में 90 प्रतिशत पौधें जीवित होने की दशा में 25 प्रतिशत।
	1.5X1.5	4444	88660		174060	

ब. सघन बागवानी फलोद्यान स्थापनाः

फसल का नाम	पौध रोपण अन्तराल (मी.)	पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर	देय अनुदान (रूपये/हैक्टेयर) प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टेयर			
			ड्रीप सिचाई के एकीकरण बिना		ड्रीप सिचाई के पैकेज/ एकीकरण सहीत	
			सांकेतिक लागत	देय अनुदान	सांकेतिक लागत	देय अनुदान
आम	5X5	400	41000	इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रूपये	74900	इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रूपये
	4X6	416	48720		82620	
	3X6	555	56975		90875	

	2.5X2.5	1600	112000	40,000/– प्रति हेक्टेयर प्लान्टिंग मैटेरियल एवं उर्वरक तथा पौध सरंक्षण रसायनों पर देय है। प्रथम वर्ष में सहायता राशि का 60 प्रतिशत, द्वितिय वर्ष में 75 प्रतिशत पौधें जीवितता पर 20 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत पौधें जीवितता पर 20 प्रतिशत।	170400	60,000/– प्रति हेक्टेयर प्लान्टिंग मैटेरियल, ड्रिप सिचांई विधि एवं उर्वरक तथा पौध सरंक्षण रसायनों पर देय है। प्रथम वर्ष में सहायता राशि का 60 प्रतिशत, द्वितिय वर्ष में 75 प्रतिशत पौधें जीवितता पर 20 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत पौधें जीवितता पर 20 प्रतिशत।
अमरूद	3X6	555	51650		110050	
	3X3	1111	73330		131730	
	1.5X3	2222	111660		170060	
अनार	5X3	667	66680		100580	
	5X2.5	800	80000		139000	
	4.5X3	741	71640		105540	

स. सामान्य अन्तराल वाली फसलें:

फसल का नाम	पौध रोपण अन्तराल (मी.)	पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर	देय अनुदान (रूपये/हैक्टेयर) प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टेयर			
			ड्रीप सिचाई के एकीकरण बिना		ड्रीप सिचाई के पैकेज/ एकीकरण सहीत	
			सांकेतिक लागत	देय अनुदान	सांकेतिक लागत	देय अनुदान
आंवला	6X6	278	40008	इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 30,000/– प्रति हेक्टेयर प्लान्टिंग मैटेरियल एवं उर्वरक तथा पौध सरंक्षण रसायनों पर देय है। प्रथम वर्ष में सहायता राशि का 60 प्रतिशत, द्वितिय वर्ष में 75 प्रतिशत पौधें जीवितता पर 20 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत पौधेंजीवितता पर 20 प्रतिशत।	73908	इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रूपये 40,000/– प्रति हेक्टेयर प्लान्टिंग मैटेरियल, ड्रिप सिचांई विधि एवं उर्वरक तथा पौध सरंक्षण रसायनों पर देय है। प्रथम वर्ष में सहायता राशि का 60 प्रतिशत, द्वितिय वर्ष में 75 प्रतिशत पौधें जीवितता पर 20 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90प्रतिशत पौधें जीवितता पर 20 प्रतिशत।
बेर	6X6	278	28340		62240	
संतरा, मोसम्बी नीम्बू	6X6	278	40008		73908	
अमरूद	6X6	278	38340		72240	
आम	10X10	100	25500		49000	
अनार	5X5	400	48000		81900	

उक्त समस्त सहायता अनुसुचित जन जाति क्षेत्र हेतु 50 प्रतिशत की दर से उपलब्ध कराई जावेगी।

कृषक चयनः

1. कृषकों का चयन पहले 'आओ पहले पाओ' के आधार पर किया जावें।
2. फल बगीचों की स्थापना हेतु कृषकों का चयन यथासम्भव समूह में किया जावें।
3. कृषकों के चयन में यथासम्भव पंचायत राज संस्थाओं का सहयोग लिया जाकर महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम से समन्वय किया जावे।
4. चयनित कृषक के पास सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो।
5. कृषक आधुनिक फसल उत्पादन तकनीक व बूंद–बूंद सिंचाई अपनाने पर सहमत हो।

अनुदान प्रक्रियाः

1. एक कृषक/लाभार्थी को न्यूनतम 0.4 हैक्टेयर एवं अधिकतम 4.0 हैक्टेयर क्षेत्र के लिये अनुदान देय होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों व जनजातीय क्षेत्रों के लिये न्यूनतम क्षेत्रफल सीमा 0.2 हैक्टेयर रहेगी।
2. कृषक को परिशिष्ट–2 पर सलंग्न अनुसार चयनित फसल के नये बगीचे स्थापना/क्षेत्र विस्तार पर अनुदान देय होगा।
3. नये फल बगीचे स्थापना आवेदन–पत्र के साथ ड्रिप संयत्र स्थापना हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
4. फल बगीचों की स्थापना के लिये फसल विशेष की सिफारिश अनुसार निर्धारित दूरी पर निश्चित आकार के गड्डे खुदवाये जाने होंगे।
5. गड्डे भरने में उपयोग आने वाले आदान उर्वरक एवं पौध संरक्षण रसायन आदि स्वंय कृषक के स्तर सेउपयोग किये जा सकेंगे । कृषक के स्तर सेउपयोग नही करने पर निर्धारित प्रपत्र में कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी/कृषि अधिकारी के द्वारा परमिट काटकर सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जायेंगे । कृषक के स्वंय के स्तर सेउपयोग करने पर शपथ–पत्र लिया जावेगा।
6. नये फल बगीचों स्थापना में कृषक के स्तर से उपयोग की गयी गोबर की खाद (FYM) कृषक हिस्सा राशि के रूप में स्वीकार्य होगी। गोबर की खाद की दर 1.00 रूपये प्रति किलोग्राम होगी, जिसकी वास्तविक गणना स्थानीय स्तर पर की जायेगी।
7. नये फल बगीचों की स्थापना में ड्रिप संयंत्र लगाना अनिवार्य रहेगा। ड्रिप संयंत्र की स्थापना के बाद ही कृषकों को फलदार पौधे उपलब्ध कराये जावेंगे। जनजाति क्षेत्र के कृषको की छोटी जोत के मध्यनजर 0.4 हैक्टर क्षेत्र से कम क्षेत्र में बगीचे स्थापना पर बूंद–बूंद सिचाई संयत्र की अनिवार्यता से छूट रहेगी ।
8. ड्रिप संयंत्र की स्थापना बिना फल बगीचे स्थापना पर फलदार अनुदान उपलब्ध नही कराया जावे
9. नये फल बगीचों की स्थापना हेतु उन्नत किस्मों की पौध रोपण सामग्री राजहंस द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

10. फलो में नीबूं के अलावा अन्य सभी फल बगीचे स्थापना में ग्राफटेड/कलमी पौध रोपण सामग्री का उपयोग किया जायेगा।
11. नये फल बगीचों की स्थापना हेतु परिवहन वं रोपण के समय मोर्टेलिटी के पेटे प्रति इकाई निर्धारित पौधों की सख्या से 10 प्रतिशत अधिक पौधे (110%) उपलब्ध करये जायेगें।
12. नये फल बगीचे स्थापना पर अनुदान फलवार इकाई लागत को आधार मानते हुये अनुदान राशि सीमा के अध्यधीन आर.टी.जी.एस. द्वारा सीधे किसान के खाते में किया जाकर कृषक को सूचना दी जावे।
13. द्वितिय व तृतीय वर्ष में गैप फिलिंग हेतु पौधे उपलबध कराकर क्रमशः 75% व 90% पौधों की जीवितता सुनिश्चित की जावे। इस हेतु भौतिक सत्यापन परिशिष्ट–3 के अनुसार यथासम्भव मई व जून माह में करवाया जावे।
14. हाई डेनसिटी प्लानटिंगमें पौध रोपण के साथ कैनोपी मैनेजमेंट के बारे में कृषक को तकनिकी जानकारी/प्रशिक्षण दिया जावे।
15. सरकारी भूमि, पंचायत भूमि पर नये फल बगीचों की स्थापना पर संबंधित विभाग, पंचायत द्वारा कृषक हिस्सा राशि जमा कराने पर योजना दिशा निर्देशानुसार अनुदान देय होगा।
16. नये फल बगीचो की साइट पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, कुल क्षेत्रफल, फसल व किस्म का नाम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
17. कृषक किसी राजकीय उपक्रम/कृषि विश्वविद्यालयों/कृषि महाविद्यालयों/अर्धराजकीय, भारत सरकार की सस्थाऐं/अनुसंधान केन्द्र/फार्म अथवा अन्य किसी राजकीय संस्था से पौधे क्रय कर बगीचा लगाता है, तो उसे नियमानुसार अनुदान देय होगा।

नोटः– जिला अधिकारियों को आवंटित फसलवार लक्ष्यों में आवश्यकता होने पर वे स्वयं के स्तर पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत चयनित फसलों में से किसी भी फसल के लक्ष्यों में वृद्धि कर कुल लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे। फल बगीचों की स्थापना के समय यह ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा कि एक ब्लॉक में कम से कम 10 हैक्टेयर क्षेत्र में फल बगीचों की स्थापना की जावे। फसलवार परिवर्तित लक्ष्यों का स्वयं के स्तर पर निर्धारण कर इसकी सूचना निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें।

II. मशरूम उत्पादनः

मशरूम की खेती को बढ़ावा देने हेतु मशरूम उत्पादन, स्पॉनव कम्पोस्ट इकाई हेतु निम्नानुसार अनुदान देये है।

कार्यक्रम	अनुमानित लागत	देय अनुदान राशि
मशरूम उत्पादन इकाई	20.00 लाख रूपये	परियोजना लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 8.00 लाख रूपये प्रति इकाई क्रेडिट लिंक बैक एंडिड अनुदान ।
स्पॉन बनाने की इकाई	15.00 लाख रूपये	परियोजना लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 6.00 लाख रूपये प्रति इकाई क्रेडिट लिंक बैक एंडिड अनुदान ।
कम्पोस्ट इकाई	20.00 लाख रूपये	परियोजना लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 8.00 लाख रूपये प्रति इकाई क्रेडिट लिंक बैक एंडिड अनुदान ।

1. निजी क्षेत्र में मशरूम इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने हेतु आवश्यक मशीनरी व बुनियादी ढांचागत सुविधाएं और इससे सबंधित उपकरणों व स्थापित की जाने वाली स्पॉन व कम्पोस्ट इकाईयो के विवरण सहित प्लांट व मशीनरी का पूर्ण विवरण, लागत एस्टीमेट, वित्तीय विश्लेषण इत्यादि के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव, बैंक ऋण स्वीकृति पत्र, भू–स्वामित्व दस्तावेज व शपथ–पत्र के साथ प्रस्ताव जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी के माध्यम से राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी, जयपुर को प्रस्तुत करने होंगे।
2. परियोजना प्रस्ताव की लागत की कुल का लगभग 70–75 प्रतिशत तक का बैंक ऋण (बैंक टर्म लोन) लेना अनिवार्य होगा।
3. परियोजना प्रस्ताव के सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावेगी। आवेदक द्वारा इकाई स्थापना का कार्य अधिकतम एक वर्ष अवधी में पूर्ण किया जानाहोगा ।
4. आवेदक द्वारा परियोजना में प्रस्तावित गतिविधीयो की प्रशासनिक स्वीकृति अनुसार कार्य पूर्ण करके जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी/ राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी को अवगत कराया जायेगा। आर.एच.डी.एस. द्वारा निर्धारित कमेटी की भौतिक सत्यापन रिर्पोट अनुसार अनुदान राशि जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी द्वारा आवेदनकर्त्ता के बैंक अनुदान आरक्षित खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।
5. अनुदान राशि 3 वर्ष की लॉक इन अवधि पूरी होने के पश्चात बेक एंडिड प्रक्रिया से अंत में समायोजित की जायेगी।
6. इकाई पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित, स्थापित वर्ष, कुल लागत, मशीनरी का विवरण इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

III.फूलों के नये बगीचों की स्थापनाः

1. फूलो के नये क्षेत्र विस्तारहेतु कृषक को अधिकतम 2.0 हैक्टर क्षेत्र के लिये अनुदान देय होगा। कार्यक्रम आयोजन के लिये न्यूनतम क्षेत्रफल 0.10 हैक्टेयर. रहेगा। फसल एवं कृषक श्रेणीवार देय अनुदान निम्न प्रकार है–

फसल	अनुमानित लागत	कृषक वर्ग	देय अनुदान (रू. प्रति है.)
लूज फ्लावर (देसी गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी, गैलार्डिया)	40,000 रू./है0	छोटे और सीमांत	लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 16,000/है.,
		अन्य किसान	लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू. 10,000/है.,

2. चयनित कृषकों को फूलों की खेती में अपनाये जाने वाली शस्य क्रियाओं, फूलों के विपणन, रख–रखाव एवं उपयोग आदि की जानकारी के लिये तकनिकी साहित्य उपलब्ध कराया जावें।
3. बीज/प्लाटिंग मेटेरियल, खाद, उर्वरक एवं पौध संरक्षण रसायन आदि आदान विभागीय सिफारिश के अनुसार राजहंस/सहकारी समितियो से उपलब्ध कराये जावें। उर्वरक

यथासम्भव कृषक के खेत की मिट्टी एवं पानी की जांच करवाकर सिफारिश अनुसार प्रयोग कराये जावें।

4. अनुदान राशि सर्वप्रथम पौध रोपण सामग्री वराशि शेष रहने पर अन्य आदानों पर उपलब्ध करायी जावें।
5. गुलाब पौध रोपण सामग्री राजहंस द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी । कृषक के स्तर से उपयोग की गयी गोबर की खाद (FYM) व वर्मी कम्पोस्ट दर की गणना क्रमशः 1.00 रूपये प्रति किलोग्राम व 1.50 रूपये प्रति किलो से की जावे।
6. नये स्थापित फूलों के बगीचों पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, कुल क्षेत्रफल, फसल व किस्म का नाम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

IV.मसाला फसलों का नयाक्षेत्र विस्तारः

अनुदान प्रक्रियाः

1. मसाला फसलों का क्षेत्र विस्तार जहां गत वर्ष खेती नही की गयी हो, पर करवायी जावें।
2. कृषकों को फसल विशेष के लिये पैकेज ऑफ प्रेक्टिसेज का लीफलेट/साहित्य उपलब्ध कराया जावें।
3. एक कृषक को न्यूनतम 0.50 हैक्टेयर एवं अधिकतम 4 हैक्टेयर क्षेत्र तक मसाला फसलों के नये क्षेत्र विस्तार पर अनुदान देय होगा।
4. कृषकों को आदानों की कुल लागत 13750/– रूपये का 40 प्रतिशतअधिकतम 5500/– रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान देय होगा।बीज, समन्वित पोषक त्तव/कीट व्याधी प्रबंध इत्यादि आदानों की लागत पर अनुदानदेय होगा।

आदान व्यवस्थाः

1. बीज/कन्द एवं Prophylatic Measuresके रूप में लिये जाने वाले बीज उपचार के रसायन/बायो एजेंट व ऐसे उपादान जिनका प्रदर्शन किया जाना है कृषकों से 60 प्रतिशत अंशदान प्राप्त कर उपलब्ध कराये जायेंगे।
2. उर्वरक, पौध संरक्षण व अन्य आदान/उपादान निर्धारित प्रपत्र में कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी/कृषि अधिकारी के द्वारा परमिट काटकर सहकारी संस्थाओ के माध्यम से 40 प्रतिशत अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जायेंगे।
3. कृषकों द्वारा सहकारी संस्थाओ से शत् प्रतिशत लागत पर आदान क्रय कर अनुदान के क्लेम्स विभाग को प्रस्तुत करने पर अनुदान राशि का भुगतान आर.टी.जी.एस. के द्वारा कृषकों को किया जायेगा।
4. कृषक 60 प्रतिशत अंशदान आपूर्ति संस्था को जमा कराकर आदान प्राप्त करने की स्थिति में अनुदान राशि का भुगतान संम्बंधित आपूर्ति संस्था को किया जावे।
5. कृषक को आदान उपलब्ध कराने के लिये कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी, (उद्यान/कृषि) द्वारा परमिट काटा जावें (परिशिष्ट–4)।

V.पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार(Rejuvenation of senile orchards):

फल बगीचों में जीर्ण व पुराने पेड़ों को हटाकर इनके स्थान पर नए स्टाक को पुनः रोपित करके उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रम शुरू करने परलागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 20000/– रूपये प्रति हैक्टेयर, एक लाभार्थी को अधिकतम 2 हैक्टेयर तक अनुदान देय है ।

अनुदान प्रक्रियाः

1. कार्यक्रम अर्न्तगत ऐसे फल बगीचे जिनमें पर्याप्त पोषण के अभाव अथवा कीट–व्याधि के प्रकोप के कारण उत्पादकता कम हो गयी या पौधों की संख्या कम है, का जीर्णोद्धार/पुर्नस्थापन किया जायेगा।
2. सर्वप्रथम ऐसे बगीचे जिनकी उत्पादकता कम हो गयी है का चिन्हीकरण किया जावेगा।
3. बगीचों में वांछित वृक्ष सघनता, संख्या, पर्याप्त पोषण, शस्य क्रिया प्रबंधन एवं उत्पादन गुणवत्ता में सुधार के लिये फल बगीचों की जीर्णता/कम उत्पादकता के आधार पर निर्णय किया जाकर जीर्णोद्धार/पुर्नस्थापन पर अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा ।
4. जीर्णोद्धार/पुर्नस्थापन हेतु पुराने बगीचों को आर्थिक रुप से उपयोगी बनाने के लिये निम्न कार्य करवाये जा सकेंगेः–
   - पुर्नरोपण एवं अन्तर रोपण के लिये पौध रोपण सामग्री।
   - पुराने वृक्षों की कटाई छंटाई एवं शस्य क्रियाओं को अपनाने के लिए।
   - उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व एवं वृद्धि नियामक हारमोंस आदि।
   - पौध संरक्षण रसायन–रासायनिक एवं जैविक कीटनाशी, फफूंदनाशी।
   - कटाई छटाई एवं शस्य क्रियाओं के लिये उद्यानिकी टूल्स।
5. पुर्नरोपण एवं अन्तर रोपण के लिये गुणवत्ता युक्त पौध रोपण सामग्री 50 प्रतिशत अनुदानित दर पर उपलब्ध करायी जायेगी। अन्य आदान कृषकों को क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे।
6. अनुदान की गणना के लिये बगीचे में किये जाने वाले सभी कार्यों का आंकलन करके उन पर व्यय होने वाली राशि व श्रम की राशि (प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित) तय की जावें। इसमें मजदूरी व आदानों की खरीद दोनों सम्मिलित की जा सकेगी।
7. कृषक द्वारा केये गये कार्यों के पेटे श्रम की राशि व गोबर की खाद की राशि को कृषक हिस्सा राशि मानते हुये अन्य आदान कृषक द्वारा सहकारी संस्थाओं से क्रय करके बिल प्रस्तुत करने पर अनुदान राशीRTGS कृषक के बैंक खते में हस्तातरित की जावें। जीर्णोद्वार कार्यों के अनुसार कृषकों को अनुदान की राशि वित्तीय वर्ष में अधिकतम तीन किश्तों में विभक्त किया जा सकेगा।
8. फलदार पौधे व बगीचे की आवश्यकता के अनुरूप कार्यों का शिड्यूल बनाकर कृषकों से कार्य पूर्ण करवाते हुये प्रमाणीकरण उपरांत अनुदान राशि का भुगतान किया जावें।
9. जीर्णोद्वार किये गये फल बगीचों पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, कुल क्षेत्रफल, फसल व किस्म का नाम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

VI.जलस्रोतों का विकास (Creation of water resources):

राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत बागवानी फसलों को जीवन रक्षक सिचाई (Life saving Irrigation)सुनिश्चित करने हेतु प्लास्टिक/आरसीसी लाईनिंग के साथ ऑन फार्म पौण्डस/ऑन फार्म वाटर रेजरवायर्स के माध्यम से जलस्रोत विकास पर निम्नानुसार अनुदान देय है।

अ. सामूदायिक जल स्त्रोतों का विकासः

कृषक समूह द्वारा 10 हैक्टेयर क्षेत्र के कमाण्ड हेतु 100X100X3मीटर साईज के ऑन फार्म पौण्डस/ऑन फार्म वाटर रेजरवायर्स के निर्धारित BISमापदण्ड की न्यूनतम 500 माईक्रोन प्लास्टिक फिल्म/आर.सी.सी लाइनिगं से निर्माण पर इकाई लागत 20.00 लाख रूपये प्रति इकाई का शत प्रतिशतया अन्य छोटी साइज के जल स्त्रोत निर्माण पर कमान्ड के अनुसार यथाअनुपात (प्रोरेटा बेसिस पर) अनुदान देय है। (कृषक समूह के द्वारा स्वामित्व तथा मैनेजेज्ड)

ब. एकल जल स्त्रोत/फार्म पोण्डः

एकल कृषक द्वारा दो हैक्टेयर क्षेत्र के कमाण्ड क्षेत्र के लिये 20 मीटर लम्बाई, 20 मीटर चौडाई व 3 मीटर गहराई आकार केफार्म पोण्ड्/Dug wellBISमापदण्ड अनुसार 300 माइक्रोन प्लास्टिक फिल्म/आरसीसी लाईनिंग से निर्माण परइकाई लागत 1.50 लाख रूपये का 50 प्रतिशत अधिकतम 75000 रूपये अनुदान देय है। इससे छोटे आकार के पोण्ड/टैंक के लिये कमाण्ड क्षेत्र के आधार पर यथा अनुपात आधारित (प्रोरेटा बेसिस पर) अनुदान देय है। जलस्रोत के साज–संभाल की जिम्मेवारी सम्बंधित कृषक की रहेगी। है।

जलस्रोतचयन प्रक्रियाः

1. जलस्रोत निर्माण के लिये कृषक समूह के पास एक स्थान पर 10 हैक्टर तथा एकल कृषक के लिये कृषक के पास दो हैक्टेयर कृषि भूमि होना आवश्यक होगा। कृषक समूह के पास एक स्थान पर इससे कम भूमि होने पर भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर जल स्त्रोत का निर्माण कर सकेगा एंव आनुपातिक रूप से जल स्त्रोत का आकार भी कम किया जाकर कृषकों को सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी।
2. कृषक समूह के जलस्रोत निर्माण के लिये न्यूनतम कृषक संख्या कम से कम 3 रहेगी। इसके साथ ही जहां तक संयुक्त खातेदार का प्रश्न है पत्नी को समूह का सदस्य नहीं माना गया है। ऐसे में जमाबन्दी में पति व पत्नी दोनों का नाम दर्ज होने की स्थिति में दोनों में से एक को सदस्य मानते हुये जमाबन्दी के संयुक्त खाते में उल्लेखित पुत्र, पुत्री, भाई जो अलग परिवार के रूप में निवास कर रहे है उन्हें समूह का सदस्य माना जायेगा।

3. एकल कृषक/कृषक समूह के कृषको को भू–स्वामित्व के प्रमाण के रूप में जमाबन्दी (6 माह से पुरानी नही) व नक्शा ट्रेश आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करने होंगे।
4. जलस्रोत निर्माण के लिये कृषक/कृषक समूह को उनके भू–स्वामित्व के हिस्से की भूमि उपलब्ध करानी होगी।
5. कृषक समूह को जलस्रोत निर्माण के बाद वर्षा जल संचित होने पर 10 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र के लिए 4 हैक्टर क्षेत्र अनुसार यथानुपातसूक्ष्म सिचांई विधियों के साथ उद्यानिकी फसलों की खेती का अनुबंध किया जावें व इस हेतु राष्ट्रीय सूक्ष्म सिचाई मिशन के दिशा निर्देशानुसार आवश्यक कृषक हिस्सा राशि जिला होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी में अग्रिम जमा की जावें।
6. कृषक समूह द्वारा जमीन के रकबे के हिसाब से जलस्रोत में पानी की हिस्सेदारी रखने व रख–रखाव/मरम्मत की करवाने की सहमती का शपथ–पत्र 100 रूपये के स्टाम्प पर प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र स्वीकार किया जावें।
7. जलस्रोत निर्माण के लिये इच्छुक कृषकों से आवेदन पत्र प्राप्त करके उन पर वरिष्ठता के अनुसार रजिस्ट्रेशन नम्बर व दिनांक अंकित की जावें। इस हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे।
8. जल स्त्रोतों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रो में से वर्षा जल की आवक के अनुसार उपयुक्त साईट्स का चयन सयुक्त निदेशक/उपनिदेशक उद्यान सम्भाग की अध्यक्षता की तीन सदस्यीय कमेटी जिसमें सदस्य सचिव सम्बंधित जिला होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी एवं कनिष्ठ/सहायक कृषि अभियंता सम्मिलित होंगें के द्वारा किया जावेगा।
9. व्यक्तिगत जल स्त्रोतों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के लिये उपयुक्त साईट्स का चयन सदस्य सचिव सम्बंधित जिला होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी एवं कृषि अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी की कमेटी द्वारा किया जावेगा।
10. कमेटी द्वारा जिला स्तर पर प्राप्त जलस्रोत निर्माण आवेदन पत्रो की मौका स्थिति व इसके लिये आवश्यक दस्तावेज देखे जाकर पानी की आवक के आधार पर चयन की सिफारिश की जावेगी।
11. कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान अस्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों के बाद शेष आवेदन पत्र/पत्रावलियो का क्रम पूर्व में निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार रखा जावे।
12. एकल व सामूहिक जल स्त्रोत निर्माण में निर्धारित बी.आई.एस. मापदण्ड अनुसार क्रमशः 300 माइक्रोन व 500 माइक्रोन प्लास्टिक फिल्म इस संदर्भ में जारी निर्देशानुसार उपयोग करायी जावे।
13. कृषक समूह/कृषक द्वारा प्लास्टिक फिल्म के साथ जल स्त्रोत निर्माण पर अनुदान का भुगतान निम्नानुसार तीन किश्तो में किया जावेः–

कार्य	सहायता
जल स्त्रोत की खुदाई पूरी होने पर	20 प्रतिशत
प्लास्टिक शीट बिछावन पूर्ण होने पर	50 प्रतिशत
जल स्त्रोत का कार्य पूर्ण होने व अन्तिम भौतिक सत्यापन पश्चात	30 प्रतिशत

14. आर.सी.सी. लाइनिंग के साथ निर्मित किये जाने वाले जलस्रोत कीं अनुदान राशि का भुगतान निम्नानुसार 5 किस्तों में किया जावेः–

क्र.सं.	कार्य	सहायता
1	नींव (Foundation) में निर्धारित सीमेन्ट कंक्रीट रेश्यो के अनुसार फर्श का कार्य पूर्ण करने पर	30 प्रतिशत
2	जलस्रोत की चार में से एक साईड पर निर्धारित सीमेन्ट कंक्रीट रेश्यो के अनुसार कार्य पूर्ण करने पर	15 प्रतिशत
3	जलस्रोत की चार में से दूसरी साईड पर निर्धारित सीमेन्ट कंक्रीट रेश्यो के अनुसार कार्य पूर्ण करने पर	15 प्रतिशत
4	जलस्रोत की चार में से तीसरी साईड पर निर्धारित सीमेन्ट कंक्रीट रेश्यो के अनुसार कार्य पूर्ण करने पर	15 प्रतिशत
5	जलस्रोत की चार में से चौथी व अन्तिम साईड एवं जलस्रोत के चारों तरफ पैरापेट वाल पर निर्धारित सीमेन्ट कंक्रीट /पत्थर सीमेन्ट रेश्यो के अनुसार कार्य पूर्ण करने पर	25 प्रतिशत

15. यदि कृषक/कृषक समूह द्वारा एक से अधिक किस्त का कार्य पूर्ण कर लिया हो तो उसे कार्य के अनुसार भुगतान किया जावे।
16. कृषक समूह द्वारा शपथ–पत्र में दी गयी सहमति की अवेहलना करने पर राज्य सरकार के नियमानुसार जलस्रोत पर व्यय की गयी राशि वसूल की जा सकेगी।
17. जल संग्रहण ढांचे मे एकत्रित वर्षा के पानी का ड्रिप, फव्वारा आदि जल बचत के साधनो के माध्यम से सदुपयोग सुनिश्चित किया जावें।
18. जलस्रोत निर्माण में जहां संभव हो मनरेगा के साथ कन्वरजेन्स सुनिश्चित कर क्रियान्वित किया जा सकेगा।

जलस्रोतनिर्माण

1. जलस्रोत ढांचे का निमार्ण संबधित जिलाधिकारी एवं सहायक/कनिष्ठ अभियंता द्वारा निर्धारित तकमीने के अनुसार निर्धारित मापदण्ड अनुसार कृषक समूह के स्वंय के द्वारा करवाया जावें।
2. जल स्त्रोत निर्माण के पर्यवेक्षण व माप का कार्य इस हेतु जारी निर्देशानुसार अभियन्ताओ के द्वारा करवाया जावे।
3. जल स्त्रोत निर्माण के समग्र पर्यवेक्षण का कार्य सयुक्त निदेशक/उप निदेशक उद्यान, सम्बन्धित सम्भाग के द्वारा किया जावे।
4. जलस्रोत निर्माण मे प्रयुक्त की जाने वाली पॉलीथीन शीट्स की गुणवत्ता बी.आई.एस. मापदण्ड के अनुसार व उसके सही ढंग से बिछावन का विशेष ध्यान रखा जावें। इसके साथ ही प्रयोग की गयी पॉलीथीन शीट्स का नमूना जिला कार्यालय में सुरक्षित रखा जावें।
5. कृषक समूह को जलस्रोत निर्माण की स्वीकृति जारी करने एवं आवश्यक मापदण्ड/प्रक्रिया से अवगत कराने के एक माह के भीतर कार्य शुरू करने की अनिवार्यता रहेगी।

इस अवधि में कार्य शुरू नहीं करने पर 15 दिन का समय देकर चयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही आवश्यक रूप से अमल में लायी जायेगी।

6. जलस्रोत निर्माण के लिये अधिकतम अवधि 4 माह निर्धारित की जावे ताकि निर्धारित वित्तीय वर्ष में जलस्रोत का निर्माण पूर्ण करवाया जाकर लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके।
7. जलस्रोत निर्माण कार्य की कनिष्ठ/सहायक अभियंता द्वाराएम.बी. भरकर संबंधित हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी को अनुदान राशि भुगतान हेतु प्रस्तुत की जावेगी। कनिष्ठ/सहायक अभियंता द्वारा एमबी भरकर प्रस्तुत करने पर अधिकतम सात दिवस में अनुदान राशि का भुगतान संबंधित कृषक समूह के बैंक खाते में केवल RTGS के माध्यम से किया जावेजलस्रोत निमार्ण के पूर्ण होने पर सयुक्त निदेशक/उप निदेशक उद्यान, संभाग, सदस्य सचिव सम्बंधित जिला होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी एवं कनिष्ठ/सहायक अभियंता कृषि की तीन सदस्यीय कमेटी के द्वारा भौतिक सत्यापन किया जावें।
8. भौतिक सत्यापन के उपरांत जलस्रोत का निर्माण कार्य पूर्ण पाये जाने पर कमेटी द्वारा की गयी रिपोर्ट के बाद अनुदान राशि की अतिंम किश्त का भुगतान किया जावे।
9. व्यक्तिगत जल स्त्रोत का निर्माण के पूर्ण होने पर सदस्य सचिव, जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी, कृषि अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी एवं कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाकर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
10. जलस्रोत ढांचें के चारो तरफ ढाई से तीन फीट ऊंचाई की बण्ड/दीवार/फेन्सिंग जानवरों से सुरक्षा के लिए बनाई जावें।
11. जलस्रोत पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, कुल क्षेत्रफल, फसल व किस्म का नाम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगवाया जाना अनिवार्य होगा।

VII. संरक्षित कृषि (Protected Cultivation)

कृषि जलवायुवीय कारक– तापक्रम, आर्द्रता व सूर्य के प्रकाश को नियंत्रित करके सब्जियों, फूलों व फलों आदि उद्यानिकी फसलों की हेतु ग्रीन हाऊस, शैडनेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग, लो टनल्स, एन्टी बर्ड नेट व संरक्षित संरचना में अधिक मूल्य वाली सब्जियों एवं फूलों के बीज/पौध रोपण सामग्री पर निम्नानुसार अनुदानदेय है।

(क) ग्रीन हाऊस एवं शेडनेट हाऊस स्थापनाः

ग्रीन हाऊस एवं शेडनेट हाऊस निर्माण हेतु निम्नानुसार निर्धारित इकाई लागत या इस हेतु विभाग द्वारा ऐम्पेनल फर्मस की प्रस्तुत दरों में से जो भी कम हो पर वर्ष 2016–17 में लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति व अनुसूचितजनजाति कृषको को 70 प्रतिशत एवं सामान्य श्रेणी कृषको को 50 प्रतिशत अनुदान देय हैः–

कार्यक्रम	आकार (वर्ग मीटर में)	इकाई लागत (राशि रुपये प्रति वर्गमीटर)
ग्रीन हाऊस		
ब) प्राकृतिक वातावरण युक्त संरचना– टयूबुलर संरचना	(i) 500	1060
	(ii) >500-1008	935
	(iii) >1008-2080	890
	(iv) >2080-4000	844
शेडनेट हाऊस		
टयूबुलर संरचना	(i) 1000-4000	710

इस निर्धारित इकाई लागत में राजस्थान होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी द्वारा निर्धारित मापदण्ड/स्पेसिफिकेशन व शर्तो अनुसार सूक्ष्म सिचाई व अन्य सुविधाओ के साथ ग्रीन हाउस (पाली हाउस)एवं शेडनेट हाऊस निर्माण विभाग द्वारा ऐम्पेनल फर्मस से करवाये जाने पर अनुदान देय है।

ग्रीन हाऊस व शेडनेट हाउस मय सूक्ष्म सिंचाई व अन्य सुविधायें,पम्प एवं मल्चिंग की लागत सम्मिलित है को राजस्थान होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी द्वारा निर्धारित मापदण्ड/ स्पेसिफिकेशन व शर्ते विभाग द्वारा पृथक से सूचित की जायेगी ।

अनुदान प्रक्रियाः

1. कृषक/संस्था/कम्पनी जो ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस लगाकर उद्यानिकी फसल उत्पादन लेना चाहता है उसे लाभार्थी मानते हुये अनुदान दिया जायेगा ।
2. प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 4000 वर्गमीटर क्षेत्र के लिये अनुदान देय होगा।

3. ग्रीन हाऊस (पाली हाउस)/शेडनेट हाउस का निर्माण राजस्थान होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी द्वारा रजिस्टर्ड (Empanelled) फर्मो से इस हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड एवं स्पेसिफिकेशन अनुसार करवाये जाने पर अनुदान देय होगा।
4. ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस लगाने वाले कृषक/ लाभार्थी को बैंक से ऋण लेने की बाध्यता नहीं रहेगी ।
5. कृषक को बैंक ऋण की आवश्यकता होने की स्थिति में उप/सहायक निदेशक उद्यान के स्तर से एलओआई जारी की जायेगी। बैंक द्वारा ग्रीन हाऊस निर्माण लागत मे से कृषक हिस्सा राशि सीमा तक ऋण दिया जायेगा।
6. कृषक द्वारा ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण की कृषक हिस्सा राशि निर्माणकर्ता फर्म/संबंधित जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी को भी जमा कराई जा सकती है।कृषक द्वारा हिस्सा राशि फर्म को जमा कराने पर फर्म द्वारा उसकी प्राप्ति रसीद कृषक को दी जावेगी व एक फोटो प्रतिसंबंधित जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी को भी प्रस्तुत की जावेगी।
7. ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण के लिये अनुदान प्रार्थना–पत्र के साथ कृषक को भू–स्वामित्व दस्तावेज, लघु सीमान्त प्रमाण–पत्र, मिट्टी व पानी जांच रिपोर्ट एवं ऐम्पेनल फर्म के लागत कोटेशन के साथ ऑन लाइन आवेदन करना होगा। जिसके आधार पर जिला कार्यालय द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति/कार्य आदेश जारी किया जायेगा।
8. ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण पत्रावली पर कृषक का ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस के साथ फोटो लगाया जायेगा तथा बिल इत्यादि पर कृषक/लाभार्थी के हस्ताक्षर करवाने होंगे। इसे भौतिक सत्यापन करते समय सुनिश्चित किया जायेगा।
9. कृषक द्वारा ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण कार्य पूर्ण कर लेने की सूचना के उपरांत अधिकतम एक माह में भौतिक सत्यापन किया जाकर अनुदान उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा।
10. ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण के पश्चात खण्डीय सयुंक्त/उप निदेशक उद्यान, उप/सहायक निदेशक उद्यान, कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षक द्वारा संयुक्त निरीक्षण उपरांत निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाये जाने परसंयुक्त कमेटी रिर्पोट के अध्यधीन अनुदान राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
11. अनुदान का भुगतान लाभार्थी की लिखित सहमति के आधार पर ग्रीन हाऊस निर्माण करने वाली कम्पनी को किया जा सकेगा।
12. ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक (उद्यान/कृषि) कृषक से निरन्तर सम्पर्क में रहकर यदि कोई तकनीकी समस्या आती है तो समाधान किया जायेगा।
13. ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, कुल क्षेत्रफल, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगवाया जाना अनिवार्य होगा।

ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण प्रक्रियाः

1. आवेदक द्वारा अपने निम्न दस्तावेजो के साथ जिला कार्यालय ऑन लाइन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना होगाः–
   - ❖ भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र
   - ❖ नक्शा ट्रेश
   - ❖ मिट्टी एवं पानी की जांच रिर्पोट।
   - ❖ ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउसनिर्माण लागत ऐम्पेनल फर्म कोटेशन/इनवाइस।
   - ❖ लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो
2. कृषक के आनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उसका रजिस्ट्रेशन किया जायेगा व कृषक को उसके रजिस्ट्रेशन नम्बर व दिनांक की जानकारी दी जावेगी।
3. आवेदक के प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति/कार्यादेश जारी किया जायेगा।प्रशासनिकस्वीकृति/कार्यादेश में कृषक का रजिस्ट्रेशन नम्बर व दिनांक अंकित किया जायेगा।
4. प्रशासनिक स्वीकृति/कार्यादेशजारी होने के पश्चात् सम्बंधित फर्म द्वारा अधिकतम 30 दिवस में ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउसनिर्माण सामग्री साइट पर आपूर्ति की जाकर जिला कार्यालय व कृषक को अवगत कराया जायेगा।
5. जिला अधिकारी द्वारा अधिकतम एक सप्ताह में मौके पर जाकर ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस निर्माण सामग्री की निर्माण पूर्व मापदण्ड अनुसार होने की जांच की जायेगी।
6. फर्म द्वारा 30 दिवस तक निर्माण सामग्री कार्य स्थल पर आपूर्ति नहीं करने पर जिला अधिकारी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति/कार्यादेश निरस्त किया जाकर कृषक की सहमति से अन्य फर्म की प्रशासनिक स्वीकृति/कार्यादेश जारी किया जावेगा।
7. ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस का निर्माण प्रशासनिक स्वीकृति/कार्यादेश आदेश जारी किये जाने के अधिकतम 90 दिवस मेंपूर्ण कर संबंधित कार्यालय में सूचित करना होगा। निर्धारित अवधी मे कार्य पूर्ण नही होने पर जिला अधिकारी द्वारा सम्बधित निर्माणकर्ता फॅर्म के सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के तहत शास्ति (Penalty) लगायी जावेगी।
8. ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण के पश्चात खण्डीय सयुक्त निदेशक/उप निदेशक उद्यान, उप/सहायक निदेशक उद्यान, कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षक द्वारा भौतिक सत्यापन किया जावेगा।
9. भौतिक सत्यापन के समय ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस पूर्ण रूप से निर्मित हो उसमें आधुनिक सिंचाई पद्धति व निर्धारित मापदण्ड अनुसार अन्य सभी सुविधायेंविकसितकरने पर कमेटी रिर्पोट के अध्यधीन अनुदान भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
10. भौतिक सत्यापन के पश्चात अनुदान राशि का भुगतान कृषक की सहमति पर सीधे निर्माता कम्पनी को किया जायेगा ।

(ख) प्लास्टिक मल्चिंगः

उद्यानिकी फसलों में खरपतवार नियन्त्रण, जल के कुशलतम उपयोग एवं फसल उत्पाद की गुणवत्ता बढाये जाने हेतु प्लास्टिक मल्चिंग के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिये प्लास्टिक मल्च की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 16000/– प्रति हैक्टेयर

की दर से अनुदान देय है। एक लाभार्थी को अधिकतम 2 हैक्टेयर क्षेत्र हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जा सकता है।

कृषक के इस हेतु विभाग द्वारा ऐम्पेनल फर्मस से बागवानी फसलो में प्लास्टीक मल्च उपयोग करने पर प्रति हेक्टेयर प्रयोग की गई मल्च शीट की लागत16000/–रूपये प्रति हेक्टर या ऐम्पेनल फर्मस की दर दोनो मे से जो भी कम हो, का 50 प्रतिशत कृषक को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जावेगा। इस हेतु तकनिकी मापदण्ड परिशिष्ठ 5'ए' पर संलग्न है।

(ग) प्लास्टिक टनलः

उद्यानिकी फसलों को शीत के प्रकोप से बचाने हेतु प्लास्टिक टनल के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिये कृषक के इस हेतु विभाग द्वारा ऐम्पेनल फर्मस से बागवानी फसलो में लॉ–टनल उपयोग करने पर अनुमानित लागत 60/–रूपये प्रति वर्गमीटर या ऐम्पेनल फर्मस की दर दोनो मे से जो भी कम हो, का 50 प्रतिशत अनुदान देय है। एक लाभार्थी को अधिकतम 1000 वर्गमीटर हेतु अनुदान देय है। इस हेतु तकनिकी मापदण्ड परिशिष्ठ 5 पर संलग्न है।

(घ) एन्टी बर्ड नेटः

उद्यानिकी फसलों में पक्षियों के नुकसान को कम करके उत्पादकता बढाये जाने हेतु एन्टी बर्ड नेट के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लियेकृषक के इस हेतु विभाग द्वारा ऐम्पेनल फर्मस से बागवानी फसलो में एन्टी बर्ड नेट उपयोग करने पर अनुमानित लागत 35/–रूपये प्रति वर्गमीटर या ऐम्पेनल फर्मस की दर दोनो मे से जो भी कम हो, का 50 प्रतिशत की दर से अनुदान देय है। एक लाभार्थी को अधिकतम 5000 वर्ग मीटर तक के लिये अनुदान देय है।

प्लास्टीक मल्च, लॉ–टनल, एन्टी बर्ड नेट अनुदान प्रक्रियाः

1. कृषक द्वारा अनुदान हेतु आवेदन पत्र संबंधित जिला कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।
2. एन्टी बर्ड नेट की स्थापना से पूर्व कृषक के पास स्वयं का फल बगीचा होना चाहिये जिस पर वह एन्टी बर्ड नेट लगाना चाहता है।
3. आवेदक को एन्टी बर्ड नेट व प्लास्टिक टनल हेतु आवश्यक ढांचा अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे से तैयार करना होगा जो कि स्थायी प्रकृति का होगा।
4. एन्टी बर्ड नेट/प्लास्टिक मल्च/ला–टनल लगवाये जाने हेतु कृषक को प्रार्थना पत्र के साथ कृषक हिस्सा राशि जमा कराई जानी होगी एवं फर्म का कोटेशन भी लगाना अनिवार्य होगा।
5. जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने पर कृषक द्वारा एन्टी बर्ड नेट/प्लास्टिक मल्च/लॉ–टनल टनल लगवाये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

6. कार्य पूर्ण होने की सूचना जिला कार्यालय को देने के उपरान्त जिला अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा कार्य का भौतिक सत्यापन किया जावेगा एवं भौतिक सत्यापन के उपरान्त कृषक का सहमति पत्र होने की दशा में अनुदान राशि सीधें ऐम्पेनल फर्म को दी जा सकेगी।

(ड) संरक्षित खेती कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस में हाई वैल्यू वैजिटेबलस एवं फूलों की रोपण सामग्री व काश्त पर अनुदानः

1. संरक्षित खेती कार्यक्रम अन्तर्गत पॉली हाउस, ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस में हाई वैल्यू वैजिटेबलस तथा गुलाब, जरबेरा, कार्नेशन, लिलियम फूलों की खेती करने वाले कृषकों को रोपण सामग्री व कास्त की निर्धारित कुल सांकेतिक लागत का योजना प्रावधान अनुसार 50 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार द्वारा पत्रांक F. No. 18-33/ 2014-NHM दिनांक 28.08.2014 द्वारा जारी मार्ग दर्शिका के एनेक्सर V के अनुसार देय होगा। इस सबंध में फसलो की सांकेतिक लागत परिशिष्ट– 6 व 7 पर संलग्न है ।
2. कृषक/लाभार्थी को राष्ट्रीय बागवानी मिशन संरक्षित खेती कार्यक्रम अन्तर्गत हाई वैल्यू वेजिटेबलस व फूलों की रोपण सामग्री व काश्त हेतु निर्धारित अधिकतम अनुमानित लागत (हाई वैल्यू वेजिटेबलस 140/– रूपये प्रति वर्ग मीटर, कार्नेशन व जरबेरा 610/– रूपये प्रति वर्ग मीटर एवं गुलाब व लिलियम 426/– रूपये प्रति वर्ग मीटर) के अध्यधीन इस हेतु निर्धारित सांकेतिक लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र तक के लिए अनुदान देय होगा।
3. इच्छुक कृषक/लाभार्थी को सांकेतिक लागत में उल्लेखित आदानों में से इस लागत के 50 प्रतिशत राशि के आदानों पर अनुदान देय होगा एवं शेष आदानों की लागत स्वयं कृषक/लाभार्थी को वहन करनी होगी। सांकेतिक लागत में पौध रोपण सामग्री की लागत फसल/किस्म विशेष के लिए इस हेतु रजिस्टर्ड फर्मस की दर के अनुसार परिवर्तनिय होगी।
4. कृषक/लाभार्थी को सांकेतिक लागत में उल्लेखित रोपण सामग्री विभाग द्वारा रजिस्टर्ड फर्मस तथा रासायनिक उर्वरक व पौध संरक्षण रसायन सहकारी समितियों से क्रय कर बिल प्रस्तुत करने होगें तथा गोबर की खाद्य, मानव श्रम व सांकेतिक लागत में उल्लेखित अन्य सभी सहायक कार्य स्वयं कृषक के स्तर से किये जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. इच्छुक कृषक/लाभार्थी द्वारा ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस में हाई वैल्यू वैजिटेबलस व फूलों की खेती हेतु रोपण सामग्री व काश्त के लिए निर्धारित प्रपत्र में सब्जी/फूलों की फसल, किस्म व क्षेत्रफल अंकित करते हुए मिट्टी व पानी की जांच रिपोर्ट के साथ आवेदन पत्र संबंधित जिला कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।
6. आवेदक कृषक/लाभार्थी के आवेदन पत्र अनुसार ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस निर्माण क्षेत्रफल की जांच उपरान्त जिला कार्यालय द्वारा योजना दिशा–निर्देशानुसार रोपण सामग्री व काश्त पर अनुदान हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावेगी।

7. ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस में हाई वैल्यू वैजिटेबलस व फूलों की खेती हेतु रोपण सामग्री व काश्त के लिए प्रशासनिक स्वीकृति अनुसार कृषक/लाभार्थी को रजिस्टर्ड फर्म द्वारा रोपण सामग्री उपलब्ध कराने पर सांकेतिक लागत में उल्लेखित आदानों के बिल प्रस्तुत करने पर जिला कार्यालय स्तर से उप/सहायक निदेशक व कृषि अधिकारी एवं स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक की कमेटी द्वारा सत्यापन उपरान्त अनुदान देय होगा। रोपण सामग्री की अनुदान राशि संबंधित फर्म व अन्य आदानों की राशि कृषक के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से हस्तान्तरित की जावेगी।

8. कृषक/लाभार्थी के स्वयं की लागत से रजिस्टर्ड फर्मस से रोपण सामग्री क्रय करके ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस में रोपण उपरान्त सांकेतिक लागत में उल्लेखित आदानों के बिल प्रस्तुत करने पर ही आवेदक योजना प्रावधान अनुसार अनुदान देय होगा। कृषक/लाभार्थी रजिस्टर्ड फर्म से दर निगोशियेट करने के लिए स्वतंत्र होगा।

9. पौध रोपण सामग्री कृषक द्वारा कृषि विश्वविद्यालय, सम्बद्व कृषि महाविद्यालय, कृषि अनुसंधान केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र, राजहन्स नर्सरी, राजस्थान ओलिव कन्टीवेशन लिमिटेड, केन्द्र/राज्य सरकार एवं अन्य राजकीय संस्था अथवा विभाग द्वारा पंजीकृत फर्मो में से किसी भी फर्म से प्राप्त की जा सकती है। इनके अतिरिक्त किसी अन्य संस्था से पौध रोपण सामग्री लिये जाने पर योजनान्तर्गत अनुदान देय नहीं होगासब्जियों एवं फूलों की पौधरोपण सामग्री प्राप्त किये जाने हेतु कृषक को प्रार्थना पत्र के साथ आवश्यक कृषक हिस्सा राशि जमा कराई जानी अनिवार्य होगी एवं जिस संस्था/फर्म से पौध रोपण सामग्री ली जानी है उस फर्म का कोटेशन भी लगाना अनिवार्य होगा।

10. कमेटी द्वारा कृषक/लाभार्थी के यहां आपूर्ति की गई पौध रोपण सामग्री की मात्रा व गुणवत्ता तथा उपयोग में लिए गये आदानों का सत्यापन किया जावेगा।

11. सत्यापन कमेटी में उल्लेखित कार्मिकों में से किसी पद के रिक्त होने/पदस्थापन नहीं होने की स्थिति में कृषि विभाग में कार्यरत उसके समकक्ष पद के अधिकारी/कार्मिक को कमेटी में सम्मिलित किया जावेगा।

12. एक कृषक/लाभार्थी ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस के क्षेत्रफल की सीमा तक हाई वैल्यू वैजिटेबलस की पौध रोपण सामग्री व काश्त पर एक बार अनुदान के लिए पात्र होगा तथा जरबैरा, कार्नेशन, गुलाब व लिलियम फूलों की रोपण सामग्री व काश्त के लिए बहुवर्षी फसल अवधि के लिए एक बार अनुदान के लिए पात्र होगा।

13. राज्य की कृषि जलवायु स्थिति के अनुसार पौध रोपण सामग्री की गुणवत्ता, True to type अनुवांशिकता व उपयुक्तता के लिए आपूर्तिकर्ता फर्म/संस्थान/रजिस्टर्ड फर्म जिम्मेदार होगी। पौध रोपण सामग्री की गुणवत्ता व अनुवांशिकता में अन्तर होने पर पूर्णतया आपूर्तिकर्ता फर्म की जिम्मेदारी होगी एवं विभाग फर्म पर नियमानुसार कार्यवाही करेगा।

14. योजना कार्यक्रम अन्तर्गत आपूर्तिकर्ता फर्म/संस्थान/रजिस्टर्ड फर्म द्वारा ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस में खेती किये जाने वाली किस्मों की ही रोपण सामग्री आपूर्ति की जावेगी।
15. ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस में हाई वैल्यू वैजिटेबलस व फूलों की खेती की पैकेज प्रेक्टिसेज फसल/किस्म विशेष के अनुसार आपूर्तिकर्ता रजिस्टर्ड फर्म द्वारा कृषकों को उपलब्ध कराई जावेगी।
16. ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस में हाई वैल्यू वैजिटेबलस व फूलों की खेती करने वाले कृषकों को विभाग के स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा नियमित रूप से तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जावेगी एवं इसकी मासिक रिपोर्ट जिला कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी।
17. जिला कार्यालय द्वारा ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस की पौध रोपण सामग्री व काश्त हेतु अनुदान प्राप्त करने वाले कृषकों का पूर्ण रिकार्ड संधारित करके रखा जावेगा।

VIII.समन्वित कीट/पौषक तत्व प्रबधंन को बढ़ावा देना (IPM/INM):

समन्वित पोषक तत्व प्रबंध (आई.एन.एम)/समन्वित कीट प्रबंध (आई.पी.एम) को बढावा देने हेतु लागत का 30 प्रतिशत अधिकतम 1200/– रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से प्रति लाभार्थी 4 हैक्टेयर तक अनुदान देय है ।

अनुदान प्रक्रिया:

1. कृषक समन्वित कीट प्रबन्ध व समन्वित पौषक तत्व प्रबन्ध हेतु अनुदान का पात्र है किन्तु एक कृषक को अधिकतम 1200 रूपये प्रति हेक्टेयर से अधिक अनुदान देय नहीं होगा।
2. उद्यानिकी फसलों की आई.पी.एम. सिफारिशें एवं सांकेतिक लागत मोड्यूल परिशिष्ट 8 एवं परिशिष्ट 9 अनुसार कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाना है। इसके अलावा इस हेतु क्षेत्रीय आवश्यकता आधारित आई.पी.एम. मोड्यूल कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान केन्द्र/कृषि विज्ञान केन्द्र/विभागीय ग्राह्य परीक्षण केन्द्र के वैज्ञानिकों की सिफारिश क्रियान्वित किये जा सकेगें।
3. आई.पी.एम. मोड्यूल में बायोपेस्टीसाईडस जैसे बेसीलस थुरिन्जेन्सिस, एन.पी.वी., ट्राईकोकार्ड्स, ट्राईकोडरमा, नीम आधारित कीटनाशी, फिरोमोन ट्रेप, लाईट ट्रेप आदि पर अनुदान दिया जा सकेगा।
4. कार्यक्रम में बायोपेस्टीसाईड से कीट प्रबन्ध नहीं होने की स्थिति में ही कीटनाशी रसायनों को अंतिम विकल्प के रूप में काम में लिया जावे। जिलाधिकारी राजकीय/सहकारी संस्थाओ के स्तर पर समयबद्ध आदान आपूर्ति/उपलब्धता सुनिश्चित की जावे, ताकि कृषक वहां से आदान क्रय कर अनुदान के क्लेम्स विभाग को प्रस्तुत कर सके। कृषक को अनुदान राशि का आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भुगतान किया जायेगा ।
5. कृषक द्वारा अपना अंशदान आपूर्ति संस्था को जमा कराकर सीधे आदान प्राप्त करक आवेदन करने पर अनुदान का भुगतान आपूर्ति संस्था को किया जावेगा। कृषक को आदान उपलब्ध कराने के लिए कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा परमिट काटा जावेगा (परिशिष्ट–4)।
6. निर्धारित भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने के बाद वित्तीय बचत की स्थिति में भौतिक लक्ष्य बढ़ाकर वित्तीय लक्ष्यों की शत् प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जावें।

IX. जैविक खेती (Organic Farming):

जैविक विधी से उत्पादित खाद्य सामग्री की बढ़ती मांग को दृष्टिगत बागवानी फसलों में जैविक खेती को बढावा देनेहेतुलागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10000/–रूपये प्रति हैक्टेयर प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हैक्टेयर क्षेत्र तक तीन वर्षो में 40:30:30 के अनुपात में अनुदान देय। (प्रथम वर्ष में 4000/– रूपये एवं द्वितिय व तृतिय वर्ष में 3000/– रूपये) कार्यक्रम जैविक खेती प्रमाणीकरण से जुड़ा है।जैविक उत्पाद के प्रमाणीकरण हेतु50 हैक्टेयर के कल्स्टर के लिये 5.00 लाख रूपये जो कि प्रथम वर्ष में 1.50 रूपये द्वितीय वर्ष में 1.50 लाख रुपये एवं तृतीय वर्ष में 2.00 लाख रुपये अनुदान देय है ।

कृषक चयनः

1. कृषक के पास स्वयं की भूमि (कम से कम एक हैक्टेयर), पशुधन, पानी एवं कार्बनिक पद्धार्थ की उपलब्धता हो।
2. कृषक लगातार तीन वर्ष तक चयनित खेत में जैविक विधि से फसल उत्पादन लेने पर सहमत हो।
3. कृषक जैविक खेती प्रमाणीकरण के लिये प्रमाणीकरण संस्था से जुड़ने के लिये सहमत हो।
4. कृषक जैविक खेती के लिए चयनित खेत में फसल चक्र की सभी फसलों को जैविक कृषि क्रियाओं के आधार पर लेने पर सहमत हो।
5. जैविक खेती कार्यक्रम में जैविक गांव व जैविक खेती से जुड़े कृषकों को प्राथमिकता दी जावें।

अनुदान प्रक्रियाः

1. जैविक खेती कार्यक्रम 50 हैक्टेयर क्षेत्र के कृषक समूह में लिया जाना होगा।
   - ❖ जैविक खेती अपनाने पर जैविक आदानों की इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10 हजार रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से अधिकतम 4 हैक्टेयर क्षेत्र तक तीन वर्षो में 40:30:30 के अनुपात में निम्नानुसार अनुदान देय।प्रथम किश्त– प्रथम वर्ष में 4000रूपये प्रति हैक्टेयर
   - ❖ द्वितीय किश्त– दूसरे वर्ष में 3000 रूपये प्रति हैक्टेयर
   - ❖ तीसरी किश्त– तीसरे वर्ष में 3000 रूपये प्रति हैक्टेयर
2. कृषकों को जविक आदान अनुदान का भुगतान जैविक खेती प्रमाणीकरण हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली संस्था से जुडने व जैविक कृषि क्रियायें अपनाये जाने के सत्यापन के बाद किया जायेगा ।
3. कृषकों को अनुदान किश्त का भुगतान एक मुश्त RTGS के माध्यम सेकिया जायेगा। कृषक के लिये आदानों के बिलों की कोई बाध्यता नहीं होगी।
4. जैविक खेती लिये जा रहे खेत के चारों तरफ बफ्र जोन रखा जाना होगा ।

5. जैविक खेती प्रक्रिया अपनाये जाने के तीन वर्ष पश्चात् फसल उत्पाद जैविक श्रेणी में आता है। इस हेतु कृषक से तीन वर्ष तक लगातार जैविक कृषि विधिया अपनाये जाने का अनुबंध किया जावें (परिशिष्ट 10)।
6. जैविक खेती में आदान के रूप में प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जायेगा।जैवकि खेती हेतु चयनित क्षेत्र में सिंथेटिक/रासायन आदान का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
7. जैविक खेती में काम में लिये जा सकने वाले सांकेतिक आदान निम्नानुसार है– वर्मी कम्पोस्ट/कम्पोस्ट/गोबर की खाद, हरी खाद, जीवाणु खाद, नीम केक, जिप्सम, नीम आधारित प्रिपरेशन्स, बीटी/एनपीवी, बायो एजेन्ट्स, ट्राइकोडर्मा, मल्चिंग (प्राकृतिक स्रोत से), रॉक फास्फेट, फेरोमेंन ट्रेप्स, प्रकाश पॉश, एल्गल प्रिपरेशन्स (नील हरित शैवाल), लाइम सल्फर, वनस्पति आधारित रिपेलेन्ट्स, वनस्पति एवं एनिमल आयल्स, बोयोडायनेमिक प्रिपरेशन्स, कापर साल्ट
8. जहां तक संभव हो कृषक कोखेत पर(On farm) जैविक आदान तैयार किये जाकर उपयोग प्रयोग किये जाने हेतु प्रेरित किया जावे ।

नोटः–1.उक्त आदान सांकेतिक है यदि इन आदानों के अलावा अन्य कोईजैविक आदान उपयुक्त है तो काम में लिये जा सकते है, लेकिन वे जैविक प्रकृति के होने आवश्यक होंगे।

2. जैविक खेती कार्यक्रम स्थल पर बोर्ड लगाकर अपनाई जा रही कृषि क्रियाओं का विवरण दर्शाया जावें।

x.वर्मीकम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना :

जैवकि आदान उत्पादन हेतु 30 फीट X 8 फीट X 2.5 फीट आकार के पक्के निर्माण के साथ वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 50000/– रूपये प्रति इकाई आकार अनुसार यथानुपात अनुदान देय है । एच.डी.पी.ई. वर्मी बेड इकाई (12फीटX4फीट X2फीट आकार) IS 15907:2010स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 8000–/ रूपये प्रति इकाई आकार अनुसार यथानुपात अनुदान देय है ।

कृषक चयनः

1. जैवकि आदान उत्पादन हेतु जैविक खेती के लिये चयनित कृषक/क्षेत्र के कृषकों को प्राथमिकता दी जावें।
2. कृषक के पास न्यूनतम 0.4 हैक्टेयर स्वयं की भूमि पर बागवानी फसलों की खेती किया जाना आवश्यक होगा। इसके अलावा पर्याप्त पशुधन, पानी एवं कार्बनिक पदार्थ की उपलब्धता हो ।

(क) वर्मी कम्पोस्ट इकाई/जैविक आदान उत्पादनः

1. वर्मी कम्पोस्टइकाई की स्थापना के लिये 30 फीट x 8 फीट x 2.5 फीट आकार के पक्के निर्माण के साथ वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थापनापर अनुदान देय होगा ।
2. शेड में काम में आने वाली सामग्री स्थानीय उपलब्धता के अनुसार स्टील, एस्बेस्टास शीट, पट्टी से बनायी जा सकती है। इसके लिये स्थाई प्रकृति की छाया सामग्री उपयोग में ली जावें।
3. पक्के शेड की ऊंचाई बीच में कम से कम 10 फिट और किनारे से 8 फिट हो।
4. एक इकाई के लिये कम 60 किलों केंचुए उपलब्ध कराये जावें।
5. केचुएं एटीसी, रजिस्टर्ड गैर सरकारी संस्थान/गौशाला आदि से ही प्राप्त किये जावें।
6. प्रत्येक बेड में 400–400 ग्राम ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एजोटोबेक्टर कल्चर एवं 1.0 किलोग्राम नीम की खल प्रयोग में ली जावें।
7. वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के लिये सहायक सामग्री जैसे– कुट्टी की मशीन, दांतली, पंजा झाजा, पाईप, फावड़ा, परात आदि उपकरण भी उपलब्ध कराये जावें।
8. जिला अधिकारी या उसके प्रतिनिधि कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा इकाई के भौतिक सत्यापन उपरांत ही अनुदान जारी किया जावें।
9. आवेदक को अनुदान राशि का भुगतान आर.टी.जी.एस. के माध्यम सेकिया जावें।
10. वर्मी कम्पोस्ट इकाई को कम से कम तीन वर्ष तक नियमित रूप से चलाये रखने के लिये 10 रूपये के स्टाम्प पर का शपथ–पत्र लिया जावें।
11. अनुदानित इकाई स्थल पर स्थाई रूप से कृषक का नाम, पिता का नाम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत अनुदानित वर्मी कम्पोस्ट इकाई एवं अनुदानित वर्ष अंकित कराया जावें। कार्यशील इकाई का फोटोग्राफ कार्यालय रिकॉर्ड में संधारित करके रखा जावें।

(ख) एच.डी.पी.ई वर्मी बेडः

1. एच.डी.पी.ईवर्मी बेड(IS15907:2010) का आकार 12 फुट लम्बाई व 4 फुट चौड़ाई एवं 2 फीट गहरा होना चाहिये।
2. वर्मी बेड के उपर छाया की व्यवस्था
3. वर्मीबेडएक इकाई के लिये 10 किलों केंचुए उपलब्ध कराये जावें।
4. कृषक द्वारा निर्धारित साइज वIS15907:2010 की वर्मी बेड लिये जाने पर अनुदान राशि का भुगतान कृषक को RTGS के माध्यम से किया जा सकेगा। अनुदान राशि का भुगतान कृषक से बिल प्राप्त होने के 15 दिवस में आवश्यक रूप से कियाजावे।
5. प्रत्येक कृषक को **वर्मी कम्पोस्ट इकाई/एच.डी.पी.ई वर्मी बेड में जैविक आदान उत्पादन की तकनिकी जानकारी दी जावे ।**

XI. मधुमक्खी पालन (Bee-Keeping):

मधुमक्खी प्रजनकों द्वारा उत्पादित मधुमक्खी की श्रेष्ठ कालोनियों से मघुमक्खी पानल को बढ़ावा देने हेतु आठ फ्रेमों वाली प्रति कॉलोनी की लागत2000 रूपये एवं मधुमक्खी पालन बाक्स की लागत2000 रूपये पर लागत का 40 प्रतिशत अनुदान देय है। एक लाभार्थी को अधिकतम 50 कालोनी एवं 50 मधुमक्खी बाक्स अनुदान देय है।

कॉलोनी एवं बॉक्स व्यवस्थाः

मधुमक्खी कॉलोनी एवं मधुमक्खी पालन बॉक्स कृषकों को उपलब्ध कराने के लिये जिलाधिकारियों द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जावें–

वांछित कार्यवाही	मधुमक्खी कॉलोनी	मधुमक्खी पालन बॉक्स
स्पेसिफिकेशन	एक मधुमक्खी कॉलोनी में लकड़ी के बने हुए आठ फ्रेम होते है जो एपिस मैलीफेरा प्रजाति की मधुमक्खियों के अण्डा, लार्वा, प्यूपा, एक गर्भित रानी से भरे रहते है। इनमें से कम से कम एक फ्रेम में (70 से 80 प्रतिशत तक) प्यूपा, एक में अण्डा लार्वा (70 से 80 प्रतिशत तक) भरे होने चाहिए तथा फ्रेम में शहद भी हो।	एक मधुमक्खी पालन बॉक्स में 20 फ्रेम (खाली) होते हैं जो कि डबल स्टोरी होता है। इसके नीचे के खण को ब्रूड व ऊपर के खण को हनी चैम्बर कहते हैं। दोनों में 10–10 फ्रेम लगे होते है। हनी चैम्बर के ऊपर ढक्कन लगा होता है। मधुमक्खी पालन बॉक्स के स्पेशिफिकेशन IS 1141, IS 299 एवं IS 1150 के अनुसार सुनिश्चित किये जावे।
केटेगिरी एवं सीमा	योजनान्तर्गत लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, महिला कृषक, मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण प्राप्त कृषक/ मधुमक्खी पालको को लाभान्वित करने में वरीयता दी जावें। प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 50 कॉलोनी तक अनुदान दिया जा सकता है।	योजनान्तर्गत लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, महिला कृषक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण प्राप्त कृषक/ मधुमक्खी पालक को लाभान्वित करने में वरीयता दी जावें। प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 50 बॉक्स तक अनुदान दिया जा सकता है।
विभागीय अनुदान	कॉलोनी के मूल्य का 40 प्रतिशत अथवा राशि रूपये 800 जो भी कम हो अनुदान देय होगा।	मधुमक्खी पालन बॉक्स के मूल्य का 40 प्रतिशत अथवा राशि रूपये 800 जो भी कम हो अनुदान देय होगा।
कॉलोनी बॉक्स व्यवस्था	कॉलोनी की व्यवस्था करने के लिये संबंधित जिलाधिकारी लघु विज्ञप्ति जारी कर मधुमक्खी कॉलोनी सप्लायर्स (बी–ब्रीडर्स) की जिला मुख्यालय दर आंमत्रित कर बी–ब्रीडर	मधुमक्खी पालन बॉक्स की व्यवस्था संबंधित जिलाधिकारी लघु विज्ञप्ति जारी कर मधुमक्खी पालन बॉक्स सप्लायर्स की जिला मुख्यालय दर आंमत्रित कर सप्लायर्स को पंजिकृत

	पंजिकृत करेंगे, व जिले के लिए प्राप्त न्यूनतम दर पर अनुदान की गणना कर अनुदान उपलब्ध कराया जावें। कृषक किसी भी पंजीकृत सप्लायर से मधुमक्खी कॉलोनी प्राप्त कर सकेगा, लेकिन अनुदान गणना न्यूनतम दर को आधार मानकर की जायेगी। जिले में मधुमक्खी कॉलोनी सप्लायर्स उपलब्ध नहीं होने या लक्ष्य के अनुरूप सप्लायर्स के पास कॉलोनीयां उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधित जिलाधिकारी द्वारा सहायक निदेशक उद्यान, भरतपुर को अवगत करायेंगे, ताकि सहायक निदेशक उद्यान, भरतपुर अपने जिले के अतिरिक्त अन्य जिलों के लिए भी मधुमक्खी कॉलोनी उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था कर सके। सहायक निदेशक उद्यान विभिन्न जिलों हेतु विभागीय स्पेशिफिकेशन के अनुरूप एफ.ओ.आर. दरें प्राप्त कर बी–ब्रीडर्स पंजीकृत करेंगे। दरें पंजीकृत करते समय संबंधित जिलों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जावें।	करेंगे, व जिले के लिए प्राप्त न्यूनतम दर पर अनुदान की गणना कर अनुदान उपलब्ध कराया जावें। यह उललेखनीय है कि कृषक किसी भी पंजीकृत सप्लायर से मधुमक्खी पालन बॉक्स प्राप्त कर सकेगा, लेकिन अनुदान गणना न्यूनतम दर को आधार मानकर की जायेगी। जिले में मधुमक्खी पालन बॉक्स सप्लायर्स उपलब्ध नहीं होने या लक्ष्य के अनुरूप सप्लायर्स के पास बॉक्स उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधित जिलाधिकारी द्वारा सहायक निदेशक उद्यान, भरतपुर को अवगत करायेंगे ताकि सहायक निदेशक उद्यान, भरतपुर अपने जिले के अतिरिक्त अन्य जिलों के लिए भी मधुमक्खी पालन बॉक्स उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था कर सके। ऐसी स्थिति में सहायक निदेशक उद्यान विभिन्न जिलों हेतु विभागीय स्पेशिफिकेशन के अनुरूप एफ.ओ.आर. दरें प्राप्त कर बॉक्स सप्लायर्स पंजीकृत करेंगे। दरें पंजीकृत करते समय संबंधित जिलों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जावें।
पंजीकरण शुल्क	मधुमक्खी कॉलोनी सप्लायर (बी–ब्रीडर्स) की संख्या बढ़ाने हेतु जिले में ज्यादा से ज्यादा बी–ब्रीडर पंजीकृत किये जावें। प्रत्येक बी–ब्रीडर्स से राशि रूपये 1000 पंजीकरण शुल्क के रूप में ली जावें, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी।	प्रत्येक मधुमक्खी पालन बॉक्स सप्लायर से राशि रूपये 1000 पंजीकरण शुल्क के रूप में ली जावें, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी।
सिक्यूरिटी राशि	पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त समूचित बैंक गारंटी/प्रतिभूति राशि भी प्रत्येक बी–ब्रीडर्स से जमा कराई जाये जो कि आर.एच.डी.एस. के वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुरूप होगी। कॉलोनी का कोई विवाद होने पर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा	पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त समूचित बैंक गारंटी/प्रतिभूति राशि भी प्रत्येक मधुमक्खी पालन बॉक्स सप्लायर से जमा कराई जाये जो कि आर.एच.डी.एस. के वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुरूप होगी। बॉक्स का कोई विवाद होने पर

	जाता है तो उसकी फीस संबंधित आपूर्तिकर्ता से वसूल की जावेगी।	जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा जाता है तो उसकी फीस संबंधित आपूर्तिकर्ता से वसूल की जावेगी।
सत्यापन	कृषको को मधुमक्खी कॉलोनी उपलब्ध कराते समय विभागीय स्पेशिफिकेशन के अनुरूप मधुमक्खी कॉलोनी है या नहीं का सत्यापन संबंधित कृषि पर्यवेक्षक द्वारा शत प्रतिशत किया जावें। इसी प्रकार 65% सहायक कृषि अधिकारी, 40% कृषि अधिकारी, 2% सत्यापन सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जावें।	कृषको को मधुमक्खी पालन बॉक्स उपलब्ध कराते समय विभागीय स्पेशिफिकेशन के अनुरूप बॉक्स है या नहीं का सत्यापन संबंधित कृषि पर्यवेक्षक द्वारा शत प्रतिशत किया जावें। इसी प्रकार उपलब्ध कराई गई मधुमक्खी पालन बॉक्स का 65%सहायक कृषि अधिकारी, 40%कृषि अधिकारी, 2% सत्यापन सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जावेगा।
मधुमक्खी प्रजाति निरीक्षण कमेटी	मधुमक्खी की वांछित प्रजाति कृषकों को उपलब्ध कराने के लिये समय–समय पर पंजीकृत बी–ब्रीडर्स एवं लाभांन्वित कृषकों का निरीक्षण किया जावें। इस हेतु जिले के सहायक निदेशक उद्यान व जिले/संभाग में स्थित ए.टी.सी/के.वी.के./अनुसंधान केन्द्र/सयुंक्त निदेशक उद्यान (कीट) में से किसी एक कीट वैज्ञानिक को लेकर सत्यापन किया जावें।	
अनुदान भुगतान	सत्यापन पश्चात् समय पर अनुदान राशि का भुगतान कृषक को किया जावें।	सत्यापन पश्चात् समय पर अनुदान राशि का भुगतान कृषक को किया जावें।

अनुदान प्रक्रियाः

मधुमक्खी पालक को उच्च गुणवत्ता की मधुमक्खी कॉलोनी समय पर मिले इस हेतु दिसम्बर माह तक मधुमक्खी कॉलोनियों की उपलब्धतता सुनिश्चित की जावे।

मधुमक्खी पालक माइग्रेशन पर जाने से पूर्व अपने जिले के उप/सहायक निदेशक उद्यान के यहां अपना निःशुल्क पंजिकरण कराकर माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करें, ताकि सफर में अनावश्यक विलम्ब न हो। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने के दिशा–निर्देश एवं सर्टिफिकेट का प्रारूप क्रमशः परिशिष्ट 11 से 13 पर संलग्न है।

XII.उद्यानिकी में यांत्रिकरण

फसल उत्पादन लागत में कमी व उत्पादकता को बढाये जाने हेतु उद्यानिकी में यांत्रिकरण कार्यक्रम के तहत कृषकों, उत्पादक सघं, कृषक समूह, स्वयं सहायता समूह, महिला कृषक समूह (कम से कम 10 सदस्य)जो बागवानी फसलों की खेती करते है को शक्ति चलित उपकरणों पर निम्ननानुसार अनुदान देय हैः–

क्र. सं.	कार्यक्रम	कुल लागत	देय अनुदान
1	ट्रेक्टर (20 पी. टी.ओ. तक) रोटावेटर/ उपकरण सहित	रूपये 3.00 लाख प्रति उपकरण	सामान्य कृषकों को लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 75000/– प्रति उपकरण। अनुसूचित जाति, अनुसूचितजनजाति, लघु वं सीमान्त, महिला कृषकों को लागत का 35 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 100000/– प्रति उपकरण
2	पावर टिलर (8 बी.एच.पी. से कम)	रूपये 1.00 लाख प्रति उपकरण	सामान्य कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 40000/– प्रति उपकरण एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमान्त, महिला कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 50000/– प्रति उपकरण
3	पावर टिलर (8 बी.एच.पी. व अधिक)	रूपये 1.50 लाख प्रति उपकरण	सामान्य कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 60000/– प्रति उपकरण एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमान्त, महिला कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 75000/– प्रति उपकरण
4	ट्रेक्टर/पावरचलित मशीन(20 बी.एच.पी. तक)		
	(अ) भूमि विकास, जोत एवं सीड बेड तैयारी उपकरण	रूपये 30000/– प्रति उपकरण	सामान्य कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 12000/– प्रति उपकरण। अनु. जाति, अनु. जनजाति, लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 15000/– प्रति उपकरण
	(ब) बुवाई, रोपाई एवं खुदाई उपकरण	रूपये 30000/– प्रति उपकरण	सामान्य कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 12000/– प्रति उपकरण। अनु. जाति, अनु. जनजाति, लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 15000/– प्रति उपकरण
	(स) प्लास्टिक मल्च बिछाने की मशीन	रूपये 70000/– प्रति उपकरण	सामान्य कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 28000/– प्रति उपकरण। अनु. जाति, अनु. जनजाति, लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 35000/– प्रति उपकरण
	(द) स्वचालित बागवानी मशीनरी	रूपये 2.50 लाख प्रति उपकरण	सामान्य कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 100000/– प्रति उपकरण। अनु. जाति, अनु. जनजाति, लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषकों को अधिकतम राशि रूपये 125000/– प्रति उपकरण
5	ट्रेक्टर माउंटेड /ऑपरेटेड	रूपये 1.26 लाख प्रति	सामान्य कृषकों को लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 50000/– प्रति उपकरण एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित

	स्प्रेयर (35 बी. एच.पी. से अधिक / इलेक्ट्रोस्टेटिक स्प्रेयर)	उपकरण	जनजाति, लघु व सीमान्त, महिला कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 63000/– प्रति उपकरण

अनुदान प्रक्रियाः

1. योजनान्तर्गत कृषि यन्त्रों हेतु कृषि विभाग की जिला स्तर पर गठित कमेटी में यंत्रों का रजिस्ट्रेशन करवाकर अथवा कृषि विभाग के जिला कार्यालय स्तर पर पहले से रजिस्टर्ड यन्त्रों पर योजना दिशा–निर्देशानुसार अनुदान उपलब्ध करवाया जा सकता है।

2. ऐसे कृषि यन्त्र जो लोकल फेबरीकेटर्स द्वारा नहीं बनाये जाते एवं जिनका BIS/ISI जारी है उन्हें इच्छुक कृषक निर्माता फर्म का कोटेशन प्राप्त कर कृषि यन्त्र सम्बन्धित जिला कार्यालय में आवेदन करके अनुदान प्राप्त कर सकेंगे।

3. कृषक द्वारा BIS/ISI प्रमाणित निर्माता फर्म से यंत्र के कोटेशन के साथ आवेदन करने पर जिलाधिकारी द्वारा प्रार्थी कृषक को कृषि यंत्र क्रय करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावेगी।

4. जिला अधिकारी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने पर कृषक द्वारा यंत्र क्रय कर इसकी सूचना जिला कार्यालय को मय मूल बिल के साथ दी जायेगी।

5. कृषक द्वारा बिल प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त जिला अधिकारी द्वारा 15 दिवस के अन्दर जिला स्तर पर कम से कम दो सदस्यीय कमेटी द्वारा यंत्र/उपकरण का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. भौतिक सत्यापन में कमेटी द्वारा यंत्र के प्रस्तुत बिल में उल्लेखित मापदण्ड अनुसार पाये जाने पर कमेटी की सिफारिश पर उद्यान विभाग के दिशा–निर्देशानुसार वित्तीय स्वीकृति जारी कर अनुदान जारी किये जाने की कार्यवाही की जावेंगी।
7. जिला स्तरीय कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान पावर मशीनस् मय उपकरण जिस पर योजना के तहत अनुदान राशि उपलब्ध करायी जा रही के ऊपर ''राष्ट्रीय बागवानी मिशन वर्ष 2016–17 से अनुदानित'' अंकित करवाया जाये ।
8. योजना के तहत लाभान्वित किये जा रहे प्रत्येक लाभार्थी का यंत्र व उपकरण के साथ फोटोग्राफ लिया जाये जिसे भौतिक सत्यापन हेतु गठित कमेटी द्वारा सत्यापित किया जाये।
9. लाभार्थी से 100 रूपये के स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र लिया जाये कि वह अनुदानित पावर मशीनस् व उपकरणों न्यूनतम 5 वर्ष तक विक्रय नहीं करेगा।

XIII.मानव संसाधन विकास कार्यक्रम (Human Resource Development):

मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कृषको, फील्ड स्तर के कार्मिको व अधिकारियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम सम्मिलित है। प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु राज्य स्तर पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु 1000/– रूपये प्रति कृषक व्यय की जा सकेगी।

कृषक प्रशिक्षण (Farmers Training)

सामान्य निर्देशः

1. प्रशिक्षण प्रावधान अनुसार दो दिवसीय होगे व प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 50 कृषक भाग लेंगे।
2. प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि अनुसंधान केन्द्र/एटीसी/या अन्य स्थान जहां प्रशिक्षण संबंधी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध है पर आंवटित लक्ष्यो के अनुसार आयोजित करवाया जावें।
3. प्रशिक्षण के समय व तिथि का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावें। राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी, जयपुर को प्रशिक्षण आयोजन की तिथि की सूचना दी जावें।
4. फसल/विषय विशेष पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषकों को विषयवस्तु की गहनता से जानकारी दी जावें।
5. प्रशिक्षण एक से अधिक दिन की अवधि का होने पर कृषकों को रात्री विश्राम प्रशिक्षण स्थल पर ही कराया जावें। कृषकों को रात्री में विडियो फिल्मस प्रदर्शन के माध्यम से भी कृषि तकनीक की जानकारी दी जावें।
6. जिला स्तर पर प्रशिक्षण आयोजन हेतु वित्तीय प्रावधानों का मदवार विवरण जिला स्तर पर बनाया जाकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जावेगें।
7. प्रशिक्षण के दौरान किसी एक मद के व्यय में बचत आती है तो दूसरे मद में आवश्यकता होने पर बचत राशि काम में ली जा सकती है किन्तु इस बात का ध्यान रखा जावें कि प्रशिक्षण व्यय निर्धारित राशि से अधिक नहीं होवें।
8. जिला स्तर पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु साकेंतिक माडल परिशिष्ठ 14 पर संलग्न है।

कृषक चयनः

1. कृषक चयन संबंधित जिले के उप/सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जावें। कृषक चयन में नये फल बगीचे अन्य कार्यक्रम लेने वाले कृषकों को प्राथमिकता दी जावें।
2. प्रशिक्षणो के द्वारा समय–2 परयथासम्भव जिले सभी क्षेत्र के कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित की जावें। फसल विशेष के प्रशिक्षण में प्रगतिशील कृषक जिनके द्वारा उक्त फसल ली जा रही है तथा अन्य कृषक जिनको उद्यानिकी फसलों हेतु प्रेरित किया जा सके को सम्मिलित किया जावें।
3. कृषकों के चयन में कुछ ड्रिप सिस्टम अपनाने वाले कृषकों का समावेश किया जावें, ताकि आपसी संवाद से इसकी उपयोगिता को समझ सके।

4. पशुपालन एवं डेयरी के व्यवसाय से जुड़े कम्पोस्ट/वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग करने वाले कृषकों को भी शामिल किया जावें।
5. ऐसे कृषक जो विभाग द्वारा पूर्व में इस विषय पर प्रशिक्षित किये जा चुके हो, को सम्मिलित नहीं किया जावें।

प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने वाले व्याख्यान बिन्दुः

प्रशिक्षण में संबंधित तकनिकी विषय के साथ–साथ जमीन, जल एवं जन से जुड़े विषयों पर जानकारी दी जावें। प्रत्येक प्रशिक्षण में निर्धारित विषय के साथ उस क्षेत्र की मुख्य–मुख्य उद्यानिकी फसलों के लिये जल प्रबंधन, कीट व्याधी नियंत्रण, फसलोत्तर प्रबंधन एवं बीज उत्पादन आदि के साथ निम्न बिन्दुओं के बारे में भी सामान्य जानकारी कृषकों को उपलब्ध करायी जावें।

1. मिट्टी की जांच की आवश्यकता, फसलचक्र की आवश्यकता एवं उससे लाभ, भूमि सुधार, जीवाणु खाद, हरीखाद, जिप्सम, सूक्ष्म त्तव, ट्राईकोड्रमा, राइजोबियम, एजेक्टोबेक्टर एवं पीएसबी का प्रयोग।
2. जल पुनर्भरण, जल उपलब्धता एवं उसका समुचित उपयोग ड्रिप एवं फव्वारा संयंत्रों का महत्व (सिंचाई विभाग के अधिकारियों, ड्रिप, फव्वारा निर्माता द्वारा पी.एच., ई.सी. जमीन से जल का रिश्ता)।
3. उद्यानिकी फसल उत्पादन
4. कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा देय सुविधायें।
5. रोग, उनसे बचाव एवं रोकथाम की जानकारी।
6. पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, पौष्टिक आहार, रोग उनसे बचाव एवं रोकथाम की जानकारी।
7. सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी।
8. प्रशिक्षण दौरान प्रगतिशील कृषकों के भी विचारों की जानकारी उक्त कृषकों को दी जावें।

नोटः प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कृषकों का नाम, पता एवं दूरभाष नम्बर जिले के सहायक निदेशक उद्यान/उप निदेशक कृषि (वि) कार्यालय में रखे जावें तथा समय–समय पर उनसे दूरभाष पर सर्म्पक भी किया जावें, जाकि उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र हो सके।

XIV.समन्वित फसलोत्तर प्रबधंन (Post Harvest Management):

फसल तुड़ाई उपरांत प्रबधंन में पैकेजिंग, ग्रेडिंग, परिवहन, संसाधन और पकाई तथा भण्डारण शामिल है। ये सुविधाएं बागवानी उत्पादन की विपणनता को बढ़ाने, उत्पाद के मूल्यवर्धन, लाभप्रदता को बढ़ाने और नुकसान कम करने के लिए बागवानी फसलों के शीत भण्डारण, परिवहन, विपणन, पैकेजिंग और ग्रेडिंग तथा निर्यात के लिए बुनियादी ढाचें संबंधी सुविधाओं के नेटवर्क की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान देय है।

इस हेतु पैक हाउस, समन्वितपैक हाउस स्थापना, प्री–कूलिंग यूनिट, रेफ्रीजरेटेड वेन, शीत भण्डारण इकाईयां, प्राथमिक/चल प्रसंस्करण इकाई, राईपनिंग चेम्बर,कम लागत के प्याज भण्डारण संरचना, कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण इकाई, समन्वित कोल्ड चैन सप्लाई सिस्टम आदि परियोजनाएं हेतु उद्यमियों/कृषक/कृषक समुह, सहकारी समितियॉ, उत्पादक संघ, कम्पनीज, स्वयं सहायता समूह, महिला कृषक समूह (न्यनतम 25 सदस्य वपंजीकृत) आदिको क्रैडिट लिंक बैक एंडेड सब्सिडी के रूप (जमा से जुड़ी वापिसी आर्थिक सहायता) निम्नानुसार अनुदान देय हैः–

फसलोत्तर प्रबधंन

कम्पोनेन्ट	अनुमानित लागत	अनुदान
पैक हाउस/खेत संग्रहण इकाई (9 मीटर X 6 मीटर)	रूपये 4.00 लाख प्रति इकाई	लागत का 50 प्रतिशत
समन्वितपैक हाउस (कनवेयर बेल्ट, छंटाई, ग्रेडिंग इकाईयों, धोने, सुखाने और तोलने के लिये सुविधाओं के साथ 9 मीटर X18 मीटर)	रूपये 50.00 लाख प्रति इकाई	लागत का 35 प्रतिशत (क्रेडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड)
प्री–कुलिंग इकाइ	रूपये 25.00 लाख (6 मैट्रिक टन क्षमता)	लागत का 35 प्रतिशत (क्रेडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड)
कोल्ड स्टोरेज (5000 मै.टन हेत)	रूपये 8000/– प्रति मै. टन	लागत का 35 प्रतिशत (क्रेडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड)
रेफ्रीजरेटेड वेन	रूपये 26.00 लाख (9 मैट्रिक टन क्षमता)	लागत का 35 प्रतिशत (क्रेडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड) 4 मैट्रिक टन क्षमता से कम नही।
प्राथमिक/मोबाईल/न्यून प्रसंस्करण इकााई	रूपये 25.00 लाख प्रति इकाई	लागत का 35 प्रतिशत (क्रेडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड)
राइपनिंग चेम्बर (300 मै.टन तक)	रूपये 1.00 लाख प्रति मै. टन	लागत का 35 प्रतिशत (क्रेडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड)
परिरक्षण इकाई (कम लागत)	2.00 लाख रूपये प्रति इकाई (नयी इकाई के लिये)	लागत का 50 प्रतिशत
कम लागत प्याज भण्डारण संरचना (25 मै.टन)	रूपये 1.75 लाख प्रति इकाई	लागत का 50 प्रतिशत

इन्टीग्रेटेड कोल्ड चैन सप्लाई सिस्टम	उक्त फसलोत्तर गतिविधियो में से कम से कम दो कम्पोनेन्ट के साथ परियोजना आधारित अधिकतम लागत 600.00 लाख रूपये	लागत का 35 प्रतिशत (क्रेडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड)

पैक हाउस :

सब्जी एंव फलदार फसलों के उत्पादन को उचित तरीके से पैक कर बाजार में भिजवाये जाने हेतु पैक हाउस की स्थापना के लिए योजनान्तर्गत अनुदान उपलब्ध कराये जाने के प्रावधान है–

1. कृषक जोकम से कम 1 हैक्टेयर क्षैत्र में सब्जी उत्पादन या 1 हैक्टेयर क्षैत्र में तीन वर्ष से पुराना फल बगीचा स्थापित होएवं पैक हाउस लगाकर उद्यानिकी फसलों की ग्रेडिगं एवं पैकिंग करना चाहता है उसे लाभार्थी मानते हुये अनुदान दिया जा सकेगा।
2. प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम एक पैक हाउस के लिये अनुदान देय होगी।
3. पैक हाउस की निर्माण लागत 4.00 लाख निर्धारित की गई है जिस पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।
4. पैक हाउस निर्माण के लिये अनुदान प्रार्थना–पत्र के साथ कृषक को भूमि संबंधी दस्तावेज संलग्न करने होंगे जिसके आधार पर जिला कार्यालय द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जायेगी।
5. पैक हाउस निर्माण पत्रावली पर कृषक का पैक हाउस के साथ फोटो लगाया जायेगा तथा बिल इत्यादि पर कृषक/लाभार्थी के हस्ताक्षर करवाने होंगे। इसे भौतिक सत्यापन करते समय सुनिश्चित किया जायेगा।
6. पैक हाउस का निर्माण कृषक के द्वारा स्वयं किया जावेगा। पैक हाउस की निर्माण एवं पैक हाउस हेतु आवश्यक उपकरण की सांकेतिक लागत का माडल परिशिष्ठ 15 पर संलग्न है।
7. पैक हाउस निर्माण के पश्चात भौतिक सत्यापन हेतु जिला स्तर पर गठित कमेटी जिसमें सदस्य सचिव, जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी, कृषि अधिकारी एवं सहायक कृषि अधिकारी शामिल होगें के द्वारा किया जावेगा।
8. उक्त कमेटी की भौतिक सत्यापन रिर्पोट के आधार पर लाभार्थी को अनुदान की राशि RTGS के माध्यम से उपलब्ध कराई जावेगी।
9. पैक हाउस पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगवाया जाना अनिवार्य होगा।

समन्वित पैक हाउसः

सब्जी एंव फलदार फसलों के उत्पादन को उचित तरीके से पैक कर बाजार में भिजवाये जाने हेतु समन्वितपैक हाउस की स्थापना हेतु योजनान्तर्गत क्रैडिट लिंक बैंक एंडिड के रूप में अनुदान उपलब्ध कराये जाने के प्रावधान है–

1. समन्वित पैक हाउस की स्थापना कनवेयर बेल्ट, छंटाई, ग्रेडिंग इकाईयों, धोने, सुखाने और वजन के लिये सुविधाओं के साथ 9 मीटर X 18 मीटरआकार में निर्माण किया जावेगा।
2. विस्तृत परियोजना प्रस्ताव के साथ बैंक ऋण स्वीकृति पत्र (कार्यक्रम/कम्पोनेन्ट पर लागू होने की स्थिति में), भू–स्वामित्व दस्तावेज, भू–स्वामित्व का प्रमाण व अन्य किसी संस्था से अनुदान प्राप्त नहीं किया के शपथ–पत्र सहित आवेदन पत्र जिला होटींकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी की अभिशंषा के साथ राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी, जयपुर को प्रस्तुत करने होंगे।
3. समन्वित पैक हाउस की स्थापना के लिये आवश्यक (यदि कोई हो) सभी तरह के कानूनी/विधिक दस्तावेजों के पूर्ण पालना की आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
4. कार्यक्रमों के परियोजना प्रस्ताव की भारत सरकार से अनुमोदन उपरांत प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावेगी।
5. क्रेडिट लिंक्ड परियोजनाओं में लाभार्थी को परियोजना की लागत का लगभग 75 प्रतिशत तक का ऋण लेना अनिवार्य होगा।
6. प्रशासकीय स्वीकृति के उपरान्त लाभार्थी द्वारा स्वयं की हिस्सा राशि एवं बैक ऋण द्वारा निर्माण कार्य एवं आवश्यक उपकरण को लगाया जाकर परियोजना पूर्ण की जावेगी। उक्त समस्त कार्य प्रशासकीय स्वीकृति के छः माह के अन्दर सम्पन्न करने होगें।
7. परियेाजना का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त लाभार्थी द्वारा क्रियान्वित किये गये समस्त कार्यो के समस्त बिलो की प्रतियों सहित कार्य पूर्ण होने से जिला होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी को अवगत कराया जावेगा। इसके पश्चात परियोजना प्रस्तावों के भौतिक सत्यापन हेतु निदेशालय स्तर से गठित कमेटी द्वारा परियोजना का भौतिक सत्यापन किया जावेगा। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृत अनुदान राशि को लाभार्थी के बैक खाते में स्थानान्तरित किया जावेगा।
8. अनुदान राशि 3 वर्ष की लॉक इन अवधि पूरी होने के पश्चात् बेक एंडिड प्रक्रिया से अंत में समायोजित की जायेगी।
9. समस्त स्वीकृत इकाइयों के बाहर राष्ट्रीय बागवानी मिशन से अनुदानित, स्थापना/कार्य पूर्ण होने का वर्ष, कुल लागत, देय अनुदान आदि के विवरण का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

कोल्ड स्टोरेजः

फसल उत्पाद को नियंत्रित वातावरण में भण्डारित करके तरो–ताजा बनाये रखने के लिये मल्टी चैम्बर शीत गृहों के निर्माण पर क्रैडिट लिंक बैंक एंडिड सब्सिडी के रूप में अनुदान देय है।

1. शीत गृह आवश्यक रूप से मल्टी चेम्बर, 250 मैट्रिक टन से अधिक क्षमता एवं आधुनिक तकनीक से बने होने चाहिये तथा ये शीत गृह थर्मल इन्सूलेशन, आद्रता

नियंत्रण, आधुनिक कूलिंग प्रणाली एवं आटोमेशन से युक्त होने चाहिये ताकि ये उर्जा संरक्षण में लाभदायक हो सके।

2. इनके स्पेशीफिकेशन एवं मापदण्ड कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार द्वारा इसके लिये समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशानुसार एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होने आवश्यक है।
3. प्रशीतन उपकरण आधुनिक तकनीक के होने चाहिये जो कि शीत गृह के अन्दर विभिन्न तापमान स्तर को नियंत्रित कर सके एवं वातारवण सहयोगी होने चाहियें।
4. कम्प्रेसर मल्टी सिलेन्डर, स्क्रू टाईप एवं उपयुक्त क्षमता का होना चाहिये।
5. उर्जा के उपयोग को कम करने तथा प्रभावी शीतलन समय को कम करने के लिए कन्डेन्सर उपयुक्त प्रकार का होना चाहिये।
6. शीतगृह की बाहरी तरफ उपयुक्त थर्मल इन्सूलेशन एवं अन्दर की तरफ उपयुक्त क्लेडिंग मैटेरियल का प्रयोग किया जाना चाहिये। इन्सूलेशन के मापदण्ड आईएस 661:2000 के अनुरूप तथा इन्सूलेशन का प्रयोग आईएस 661 एवं आईएस 13205 के अनुसार होना चाहिये।
7. शीतगृहों के रखरखाव एवं संचालन हेतु योग्यताधारी एवं दक्ष कार्मिकों की सेवाऐं ली जानी चाहिये।
8. शीतगृहों के अन्तर्गत चेम्बर >250 मे.टन के होने चाहिये।
9. प्रत्येक चेम्बर में तापमान एवं आद्रता हेतु उपयुक्त नियत्रिंत उपकरण लगे होने चाहिये।
10. शीतगृहो में बेग अथवा बॉक्स में पर्याप्त भण्डारण हेतु उपयुक्त तल होने चाहिये एवं विभिन्न तलों में उपयुक्त दूरी होनी चाहिये।
11. शीत गृहों में प्रसस्ंकरण हेतु निर्धारित क्षेत्र होना चाहिये ताकि यात्रिंक छटाई, ग्रेडिंग, धुलाई एवं पैकिंग के उपकरण भी लगाये जा सके।
12. परियोजना प्रस्तावों में गणना की गयी जमीन की कीमत परियोजना लागत की 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। गणना की गयी जमीन की कीमत उद्यमी की मार्जिन मनी के रूप में मानी जावें। उद्यमी द्वारा क्रय किये जाने पर ही जमीन लागत की गणना परियोजना प्रस्ताव में सम्मिलित की जावें।
13. जमीन की कीमत क्रय की गयी दर से होनी चाहिए न की बाजार की दरों पर तथा परियोजना के लिये काम मे आने वाली जमीन की कीमत ही परियोजना प्रस्ताव मे शामिल की जावें।

अनुदान प्रक्रियाः

1. फसलोत्तर प्रबधंन सुविधाओं के लिये विस्तृत परियोजना प्रस्ताव के साथ बैंक ऋण स्वीकृति पत्र (कार्यक्रम/कम्पोनेन्ट पर लागू होने की स्थिति में), भू–स्वामित्व दस्तावेज, भू–स्वामित्व का प्रमाण व अन्य किसी संस्था से अनुदान/सहायता प्राप्त नहीं किया के शपथ–पत्र सहित आवेदन पत्र जिला होटींकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी की अभिशंषा के साथ राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी, जयपुर को प्रस्तुत करने होंगे।

2. फसलोत्तर प्रबन्धन इकाईयों की स्थापना के लिये आवश्यक (यदि कोई हो) सभी तरह के कानूनी/विधिक दस्तावेजों के पूर्ण पालना की आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
3. कार्यक्रमों के परियोजना प्रस्ताव की भारत सरकार से अनुमोदन उपरांत प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावेगी।
4. क्रेडिट लिंक्ड परियोजनाओं में लाभार्थी को परियोजना की लागत का लगभग 75 प्रतिशत तक का ऋण लेना अनिवार्य होगा।
5. लाभार्थी द्वारा स्वयं की हिस्सा राशि एवं बैक ऋण द्वारा निर्माण कार्य एवं आवश्यक उपकरण को लगाया जाकर परियोजना पूर्ण की जावेगी। उक्त समस्त कार्य इस हेतु भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार करने होंगे ।
6. परियेाजना का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त लाभार्थी द्वारा क्रियान्वित किये गये समस्त कार्यो के समस्त बिलो की प्रतियों सहित कार्य पूर्ण होने से जिला होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी को अवगत कराया जावेगा। इसके पश्चात परियोजना प्रस्तावों के भौतिक सत्यापन हेतु निदेशालय स्तर से गठित कमेटी द्वारा परियोजना का भौतिक सत्यापन किया जावेगा। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृत अनुदान राशि को लाभार्थी के बैक खाते में स्थानान्तरित किया जावेगा।
7. अनुदान राशि 3 वर्ष की लॉक इन अवधि पूरी होने के पश्चात् बेक एंडिड प्रक्रिया से अंत में समायोजित की जायेगी।
8. समस्त स्वीकृत इकाइयों के बाहर राष्ट्रीय बागवानी मिशन से अनुदानित, स्थापना/कार्य पूर्ण होने का वर्ष, कुल लागत, देय अनुदान आदि के विवरण का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना :

1. कृषक जो प्याज की खेती कर रहे है एवं कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना का निर्माण करना चाहता है उसे लाभार्थी मानते हुये अनुदान दिया जा सकेगा।
2. प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम एक संरचना के लिये अनुदान/सहायता देय होगी।
3. कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना की निर्माण लागत 1.75 लाख निर्धारित की गई है जिस पर 50 प्रतिशत अथवा राशि रूपये 0.875 लाख अधिकतम सहायता का प्रावधान है। यह निर्माण स्थायी प्रकृति का होगा।
4. आवेदन कृषक के स्वयं के नाम भू स्वामित्व होना आवश्यक होगा।
5. कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना के निर्माण के लिये अनुदान प्रार्थना–पत्र के साथ कृषक को भूमि संबंधी दस्तावेज संलग्न करने होगें, जिसके आधार पर जिला कार्यालय द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जायेगी।
6. कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना के निर्माण की पत्रावली पर कृषक सरंचना के साथ फोटो लगाया जायेगा तथा बिल इत्यादि पर कृषक/लाभार्थी के हस्ताक्षर करवाने होंगे। इसे भौतिक सत्यापन करते समय सुनिश्चित किया जायेगा।

7. कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना का निर्माण कृषक के द्वारा स्वयं किया जावेगा। कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना की निर्माण की डिजाईन एवं सांकेतिक लागत का विवरण परिशिष्ठ 16 एवं 17 पर संलग्न है।
8. कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना का निर्माण के पश्चात भौतिक सत्यापन हेतु जिला स्तर पर गठित कमेटी जिसमें सदस्य सचिव, जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी, कृषि अधिकारी एवं सहायक कृषि अधिकारी शामिल होगें के द्वारा किया जावेगा।
9. उक्त कमेटी की भौतिक सत्यापन रिर्पोट के आधार पर लाभार्थी को अनुदान की राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराई जावेगी।
10. कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगवाया जाना अनिवार्य होगा।

XV. बाजार के बुनियादी ढांचें का सृजन/विकास (Establishment of Marketing Infrastructure):

विपणन के कार्यक्रम भी परियोजना पर आधारित है। राज्य मिशन की कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के बाद भारत सरकार की एनएचएम कार्यकारिणी समिति को परियोजना की व्यवहार्य परियोजनाएं प्रस्तुत की जाएगी। इस घटक के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य–

1. बागवानी कमोडिटी के लिए विपणन के बुनियादी ढाचें के विकास में निजी और सहकारी क्षेत्रों से निवेश करवाना।
2. थोक बाजार, ग्रामीण हाट्स सहित मौजूदा बागवानी बाजारों का सुदृढ़ीकरण।
3. किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने के योग्य बनाने के लिए फार्म/बाजार स्तर पर बागवानी उत्पाद की ग्रेडिंग, मानकीकरण तथा गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर ध्यान केन्द्रित करना।
4. बाजार संबंधी कृषि क्रियाओं सहित ठेके पर कृषि के बारे में किसानों उपभाक्ताओं उद्यमियों और बाजार कार्यकर्त्ताओं के बीच सामान्य जानकारी तैयार करना।

अनुदान मापदण्डः

1. खुदरा बाजार/आउट लेट (नियंत्रित वातावरण) की स्थापना करने पर राशि रूपये15.00 लाख प्रति इकाई की लागत निर्धारित की गई है जिस पर 35 प्रतिशत अनुदानक्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड के रूप में देय है। इस हेतु विस्तृत परियोजना प्रस्ताव के साथ बैंक ऋण स्वीकृति पत्र (कार्यक्रम/कम्पोनेन्ट पर लागू होने की स्थिति में), भू–स्वामित्व दस्तावेजव अन्य किसी संस्था से अनुदान/सहायता प्राप्त नहीं किया के शपथ–पत्र सहित आवेदन पत्र जिला होटींकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी की अभिशंषा के साथ राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी, जयपुर को प्रस्तुत करने होंगे।
2. संग्रह, छटाई/ग्रेडिंग, पेकिंग इकाईकी स्थापना हेतु परियोजना लागत राशि रूपये 15. 00 लाख प्रति इकाई की लागत निर्धारित की गई है जिस पर 40 प्रतिशत सहायता क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड के रूप में देय है।

XVI.सेमीनार/वर्कशॉप (Seminar/ Workshop):

विभिन्न उद्यानिकी कार्यक्रमों की कृषकों को अधिक से अधिक जानकारी देने एवं उद्यानिकी गतिविधियों से जुड़े विभिन्न उद्यमियों को कृषकों से जोड़े जाने के लिये राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय सेमीनार/वर्कशॉप्स का आयोजन किया जाना है। सेमीनार/वर्कशॉप का आयोजन जिला विशेष की आवश्यक्ता के मध्येनजर विषय का चयन किया जाकर किया जा सकेगा। इस हेतु आवश्यक साकेंतिक माडल परिशिष्ठ 18 पर संलग्न है।